ICRW
INTERNATIONAL CENTER
FOR RESEARCH ON WOMEN

Adolescent Girls
Investment Plan

समावेशी व्यवस्था की ओर

व्यवस्था आधारित जवाबदेही हेतु किशोरियों की सहभागिता, चुनौतियों एवं मांगों की समझ

प्रोजेक्ट ब्रीफ | नवंबर 2024

आईसीआरडब्ल्यू परिचय

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यू) एक विश्वस्तरीय शोध संस्थान है, जिसके क्षेत्रीय केंद्र वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका, नई दिल्ली, भारत, कंपाला, युगांडा, तथा नैरोबी, केन्या में हैं। सन् 1976 में स्थापित आईसीआरडब्ल्यू, दुनियाभर में महिलाओं तथा लड़कियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाने हेतु व्यावहारिक व कियान्वयन योग्य समाधान की पहचान करने के लिए शोध आयोजित करता है। आईसीआरडब्ल्यू एशिया के विशयगत केंद्रित क्षेत्रों में शिक्षा एवं आजीविका तक पहुंच, किशोर सशक्तिकरण, लिंग आधारित हिंसा, पुरुशत्व, लिंग असमानता दृष्टिकोण, एचआईवी रोकथाम तथा महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम शामिल हैं। अधिक जानकारी हेतु कृपया देखें – www.icrw.org/asia

लेखक एवं आभार: राधिका उप्पल, प्रशस्तिका शर्मा, प्रणिता अच्युत

हम शुरुआत उन सभी किशोरियों तथा युवतियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए करना चाहेंगे जिन्होंने अपना समय दिया और हमारी प्रोजेक्ट टीम के साथ अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। उनकी सक्रिय भागीदारी एवं योगदान की इच्छा ने इस प्रोजेक्ट की सफलता में एक मौलिक भूमिका निभाई। हम एम्पलीफाई गर्ल्स, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एडोलसेंस (सीएसए), चिल्ड्रन बिलीव एंड रोप्स, कम्युनिटी सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट (सीसीआईडी), इंटरनेशनल प्लांड पैरेंटहुड फेडरेशन एंड मेक्सफैम, दिस लाइफ, वॉइस ऑफ चिल्ड्रन तथा वाईपी फाउंडेशन संगठनों के प्रति भी अपनी हार्दिक प्रशंसा व आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपना समर्थन तथा समय समर्पित किया।

हम अपने भाषान्तरकारों एवं अनुवादकों के आभारी हैं, जिन्होंने समावेशी प्रोजेक्ट बनाने और प्रोजेक्ट गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम अपनी इंटर्न, सुश्मिता शुक्ला को प्रोजेक्ट के लिए बहु–देशीय त्वरित साहित्य स्कैन आयोजित करने में उनके सहयोग हेतु, साक्षी गर्ग को प्रोजेक्ट के प्रबंधन एवं सुचारु प्रगति सुनिश्चित करने में उनके सहयोग हेतु, तथा अनुराग पॉल को संचार सहायता हेतु धन्यवाद करते हैं। हम इस ब्रीफ के हिंदी अनुवाद के लिए गणेश गोदियाल, कॉपी संपादन सहायता हेतु प्रशस्तिका शर्मा, तथा रिपोर्ट डिज़ाइन करने हेतु रुट्स ऐडवरटाइज़िंग को धन्यवाद करते हैं।

इस प्रकाशन का शुभारंभ, प्रारुपण एवं समन्वयन इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यू) द्वारा एडोलसेंट गर्ल्स इंवेस्टमेंट प्लान (एजीआईपी) की साझेदारी के साथ किया गया। लेखक इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के वित्तपोशण हेतु एजीआईपी को तथा प्रकाशन को अंतिम रुप देने में एजीआईपी के सदस्य, एक्शनएडयूके, एम्पलीफाई गर्ल्स, जीएजीई, एवं एजीआईपी सचिवालय को उनकी उपयोगी प्रतिकिया के लिए धन्यवाद करते हैं। एजीआईपी 17 सदस्यीय संगठनों का एक वैश्विक, अंतर्पीढ़ीगत, नारीवादी गठबंधन है, जिसकी सह–अध्यक्षता प्लान इंटरनेशनल तथा अकिली दादा करते हैं। एजीआईपी सदस्य किशोर लड़कियों के लिए परिणामों को बदलने हेतु राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा साक्ष्य–सूचित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं, और किशोर लड़कियों की सार्थक भागीदारी, संसाधन एवं सह–नेतृत्व की वकालत करते हैं।

कवर पृष्ठ फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

सुझावित संदर्भ:

उप्पल, आर., शर्मा, पी. एंड अच्युत, पी. 2024. *समावेशी व्यवस्था की ओर: व्यवस्था आधारित जवाबदेही हेतु किशोरियों की सहभागिता, चुनौतियों एवं मांगों की समझ।* नई दिल्ली: इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन

प्रकाशन अधिकार:

इस प्रकाशन में रिपोर्ट किए गए प्रोजेक्ट के निष्कर्ष आईसीआरडब्ल्यू द्वारा एडोलसेंट गर्ल्स इंवेस्टमेंट प्लान (एजीआईपी) के हिस्से के रुप में आयोजित किये गये हैं। इस रिपोर्ट में दिए गये तथ्यों और सूचनाओं को केवल गैर–व्यावसायिक उपयोग एवं उचित श्रेय के साथ पुनः प्रस्तुत/उद्धृत किया जा सकता है।

घोषणा:

इस रिपोर्ट में दिये गए खोज एवं निष्कर्ष लेखकों के हैं, यह ज़रुरी नहीं है कि वे एडोलसेंट गर्ल्स इंवेस्टमेंट प्लान (एजीआईपी) के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

विषयसूची

संक्षिप्ताक्षरों की सूची 4

अनुभाग 1: परिचय 5

अनुभाग 2: प्रोजेक्ट उद्देश्य, कार्यप्रणाली, संकल्पनात्मक रुपरेखा 9

2.1 कार्यप्रणाली 9
2.2 प्रोजेक्ट भौगोलिकता एवं साझेदार संस्थाएं 11
2.3 संकल्पनात्मक रुपरेखा 11
2.4 नैतिकता और सिद्धांत 12
2.5 सीमाएं 12

अनुभाग 3: लड़कियों के मुद्दे एवं ज़वाबदेही तंत्र 13

3.1 किशोरियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ 13
3.2 जवाबदेही तंत्र 15

अनुभाग 4: जवाबदेही तंत्र में लड़कियों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक 23

4.1 क्रॉस–कटिंग कारकः लिंग मानदंड 23
4.2 व्यक्तिगत कारक 24
4.3 पारिवारिक कारक 25
4.4 सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइज़ेषन (सीएसओ) कारक 27
4.5 सिस्टम कारक 28

अनुभाग 5: लड़कियों के सुझाव व मांगें: सरकार के नेतृत्व वाली ज़वाबदेही को सशक्त करना 31

5.1 सिस्टम से मांग 31
5.2 लड़कियों द्वारा विकसित प्लैटफॉर्म 32

अनुभाग 6: सीख एवं सुझाव 34

6.1 नीति निर्माताओं के लिए सुझाव 34
6.2 माता–पिता और समुदाय के लिए सुझाव 36

संदर्भ 38

अनुबंध 40

संकेताक्षर की सूची

एजी - एडोलसेंट गर्ल्स (किशोर लड़कियां)

एएसी - एरिया एडवाइज़री काउंसिल (क्षेत्रीय सलाहकार परिशद)

बीएलसीपीसी - ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी (ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण इकाई)

सीबीओ - कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस (समुदाय आधारित संस्थाएं)

सीसीआईडी - कम्युनिटी सेंटर फॉर इंटेग्रेटेड डेबलपमेंट (एकीकृत विकास हेतु सामुदायिक केंद्र)

सीएफएएम - चाइल्ड फ्रेंडली एकाउंटबिलिटी मेकेनिज्म (बाल अनुकूल जवाबदेही तंत्र)

सीएसए - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एडोलसेंस (किशोरावस्था अध्ययन केंद्र)

सीएसओ - सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन (नागरिक समाज संगठन)

सीपीसी - चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी (बाल संरक्षण इकाई)

डीसीपीयू - डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (जिला बाल संरक्षण इकाई)

डीएम - डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट)

डीएसडब्ल्यूओ - डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर (जिला समाज कल्याण अधिकारी)

जीएसी - गर्ल्स एडवाइजरी कमिटी (बालिका सलाहकार समिति)

जीएलडी - गर्ल–लेड डिस्कसन (बालिका नेतृत्व चर्चाएं)

आईसीडीएस - इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (एकीकृत बाल विकास सेवाएं)

आईपीपीएफ - इंटरनेशनल प्लांड पैरेंटहुड फाउंडेशन

एमएचएम - मेंस्ट्रूअल हेल्थ मैनेजमेंट (मासिक धर्म संबंधित स्वास्थ्य प्रबंधन)

पीआरआई – पंचायती राज इंस्टीट्यूशन

एससीपीएस - सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पुलिस अधीक्षक, एसपी)

एसएचजी - सेल्फ हेल्प ग्रुप (स्वयं सहायता समूह)

वीडीसी - विलेज डेवलपमेंट कमिटी (ग्राम विकास समिति)

वीएलसीपीसी - विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी (ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति)

वाई डब्ल्यू - यंग वूमेन (युवा महिलाएं)

डब्ल्यूएचओ - वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन (विश्व स्वास्थ्य संगठन)

परिचय

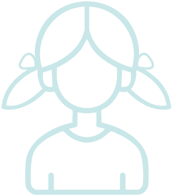

01

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किशोरावस्था को 10–19 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक चरण है जिसमें व्यक्ति न तो बच्चे और ना ही वयस्क होते हैं, फिर भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को आकार देती है, जिससे किशोरियों की खास जरुरतों और कमज़ोरियों की पहचान करना आवश्यक हो जाता है। जहाँ वैश्विक ढांचे जैसे बाल अधिकारों पर कन्वेंशन तथा कई राष्ट्रीय कानूनों जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में परिभाषित करते हैं, किशोरावस्था विशिष्ट चुनौतियाँ लाती है जिनके लिए 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक दृष्टिकोण की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

किशोरियों और किशोरों में आमतौर पर यौवन संबंधी परिवर्तन होते हैं और इससे शरीर की छवि से जुड़ी समस्याएं, मादक द्रव्यों के सेवन की चपेट में आना, अनैतिक रिश्ते और हिंसा जैसी समस्याएं होती हैं। यह वह अवस्था भी है जब किशोरों को साथियों के दबाव और मार्गदर्शन के अभाव के कारण लैंगिक मानदंडों का पालन करने और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली पहचान की नकल करने का दबाव महसूस होता है (डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ 2021, वैश्विक युवा सलाहकार बोर्ड – प्रतिष्ठित शोध रिपोर्ट, जीईएएस 2021)। लिंग मानदंड सभी लिंगों के किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि मीडिया, परिवार और साथियों के संदेश उन्हें अवचेतन रूप से सही लिंग आधारित प्रदर्शन के बारे में सूचित करते हैं और उन्हें बाधित किया जाता है तो अक्सर उन्हें दंडित किया जाता है (यूनिसेफ, दक्षिण एशिया 2024 एवं एक्शन एड 2022)।

किशोरियों (एजी)[1] को बाल्यावस्था, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह जैसी और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विश्व स्तर पर 19% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है; बाल विवाह का स्तर पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सबसे अधिक है, जहाँ लगभग 10 में से 4 युवतियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है (यूनिसेफ, एन.डी.ए)। उन्हें यौन और शारीरिक हिंसा (यूनिसेफ 2014) और अंतरंग साथी हिंसा का अधिक जोखिम होता है – दुनिया भर में 15 से 19 वर्ष की आयु की 3 में से 1 किशोर लड़की अपने जीवन में किसी न किसी समय अपने पति या साथी द्वारा की गई किसी भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हुई हैं (यूनिसेफ 2014)। दुनिया भर में, 119 मिलियन लड़कियाँ स्कूलों से बाहर हैं (यूनिसेफ, एन.डी.बी) और दक्षिण एशिया में 30% लड़कियाँ माध्यमिक शिक्षा से बाहर हैं। लड़कियों को एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है (दुनिया भर में प्रजनन आयु की 30% लड़कियां और महिलाएं (डब्ल्यूएचओ 2014) और कई भारतीय राज्यों में लगभग 40%–50% किशोरियां (कुमारी एट अल 2017) कम मात्रा में

---

[1] रिपोर्ट में शब्द एडोलसेंट गर्ल्स जिन्हें हम एजीज कहेंगे।

फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

एनीमिया से ग्रस्त पाई गई, जिनमें से लगभग 5–10% माहवारी और पोषण की कमी के कारण गंभीर एनीमिया से ग्रस्त हैं) और 12 देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 महिलाओं और लड़कियों में से 1 के पास अपने माहवारी के दौरान धोने और कपड़े बदलने के लिए निजी स्थान नहीं था (यूनिसेफ, 2023)।

इसके अतिरिक्त सुंदरता के रुढ़िवादी विचारों के कारण आत्मविष्वास एवं आत्म–छवि में कमी भी लड़कियों के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है; जैसा कि जैन एट अल (2023) और रोमो एट अल (2016) ने बताया है। आर्चर्ड (2011) का तर्क है कि लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धियों की प्रशंसा अक्सर उनके आत्मविष्वास के उच्च स्तर का प्रतीक मान लिया जाता है। उनके अध्ययन में यह पाया गया कि कई उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली लड़कियों में आत्मविश्वास कम हो सकता है, क्योंकि यह लिंग मानदंडों तथा शारीरिक छवि के मुद्दों से संबंधित है। कोविड–19 के प्रभाव ने लड़कियों के जीवन की स्थिति को और भी बदतर बना दिया, क्योंकि महामारी के दौरान परिवारों के गरीब होने से बाल विवाह की दर बढ़ गई। कई लड़कियों को स्कूल भी छोड़ना पड़ा और वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रह गई[2]। कोविड महामारी के दौरान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा में वृद्धि को यूएन वीमेन (2021) ने ''छाया महामारी'' का नाम दिया। इस अध्ययन में पाया गया कि महामारी के दौरान छात्राओं एवं बेरोज़गार लड़कियों व महिलाओं को घर के भीतर या सार्वजनिक स्थलों पर अधिक हिंसा का सामना करना पड़ा।

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में किशोर लड़कियों पर लिंग मानदंडों के असमान प्रभाव को उजागर किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित लड़कियां और अधिक चुनौतियों और दबावों का सामना करती हैं। ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों की लड़कियां डिजिटल विभाजन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और घर के काम

---

[2] शिक्षा का अधिकार फोरम नीति संक्षिप्त के अनुसार, कोविड–19 महामारी के कारण भारत में माद्यमिक शिक्षा से वंचित लड़कियों की संख्या 10 मिलियन तक हो सकती है।

के बोझ के कारण होने वाले निराशाजनक प्रभावों की अधिक शिकार होती हैं। उदाहरण के लिए, अग्रवाल एट अल (2023) बताते हैं कि कोविड–19 महामारी के दौरान, अविवाहित लड़कियों की तुलना में, नवविवाहित लड़कियों के बिहार राज्य (भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक) (61% बनाम 42%), वंचित पृष्ठभूमि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 88% बनाम 76%), और सबसे कम आय वाले परिवारों (16% बनाम 8%) से होने की अधिक संभावना थी। मित्रा एट एल (2022) ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या की संभावना 35% अधिक है और वे धर्म या जाति के आधार पर वंचित समूहों में अधिक होती हैं। उनके अध्ययन में यह भी पाया गया कि गरीब अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ स्कूल छोड़ने के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील हैं तथा महामारी के दौरान पारिवारिक आय में गिरावट के कारण किशोरियों का निजी से सरकारी स्कूलों में जाना हुआ है। कैमरून के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, किशोरों, विशेषकर किशोरियों को अपने परिवारों से अलग होने, शिक्षा तक पहुँच की कमी और बाल श्रम और शोषण के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता सहित सुरक्षा ज़ोखिमों का सामना करना पड़ता है (प्लान इंटरनेशनल, 2022)। इस तरह के साक्ष्य किशोरियों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ाने में उत्पीड़न की अन्य प्रणालियों की भूमिका को इंगित करते हैं।

विभिन्न देशों में सरकार ने किशोरियों की समग्र भलाई में सुधार के लिए कई नीतियाँ लागू की हैं जैसे कि शिक्षा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्लीनिक और अन्य। हालांकि, सेवा वितरण चुनौतियों एवं सीमित लैंगिक मानदंडों के कारण इन अधिकारों और सेवाओं तक पहुँच कई लड़कियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। उदाहरण के लिए, भारत में किए गये अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन जैसे माहवारी उत्पाद प्रदान करने की सरकारी योजनाओं के बावजूद, कई लड़कियाँ इसका लाभ नहीं उठा पाई हैं, विशेष रूप से निम्न आय वाले समुदायों की लड़कियाँ, जो इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उनकी चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं (शाह एट अल 2022 और राणा 2023)। चूंकि सतत विकास लक्ष्य (3, 4 और 5) का उद्देश्य उपरोक्त उल्लेखित कुछ मुद्दों को कम करना है, इसलिए सिस्टम हितधारकों की जवाबदेही और शासन में किशोरियों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाएं और राष्ट्रीय और वैश्विक जनादेश किशोरियों की जरूरतों को पहचानें तथा उनके प्रति उत्तरदायी हों साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वे सुलभ हों और किशोरियों के लाभ के लिए लागू किए जाएं। विश्व बैंक के दस्तावेज़ 'गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट' (1992) में शासन के चार मुख्य आयामों में से एक के रूप में जवाबदेही का उल्लेख किया गया है। विभिन्न नीतियों, वैश्विक प्लेटफार्मों और सम्मेलनों ने न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों के कौशल का निर्माण करने का प्रयास किया है, बल्कि उन्हें नेतृत्व कौशल में प्रशिक्षित करके क्षमताओं को मज़बूत करके, और ऐसे मंच बनाकर भी प्रयास किया है जहाँ वे सहकर्मी किशोरियों का प्रतिनिधित्व कर सकें व स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में भाग ले सकें (वीमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस, एजीआईपी–एएमआरईएफ, 2023)। अब समय आ गया है कि किशोर लड़कियों को केवल योजनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रुप में न देखा जाए, बल्कि उन्हें रचनात्मक, व्यक्तित्व एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय नागरिक के रुप में पहचाना जाए। जिन्हें न केवल अपने मुद्दों को उठाने और सामाजिक उत्तरदायित्व तंत्रों और सुलभ प्रक्रियाओं व चैनलों के माध्यम द्वारा औपचारिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज कराने और अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि नीतियों, योजनाओं और पहलों के विकास में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए।

कम उम्र, सीमित संसाधनों और मताधिकार की अनुपस्थिति के कारण, किशोरियां अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रह जाती हैं और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को नीतियों एवं व्यवहार में बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया जाता है (खुराना एट अल, 2023)। किशोरियों को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें उन निर्णयों में भाग लेने का

अधिकार है जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। लड़कियों के दृष्टिकोण से प्रेरित निर्णयों का प्रभाव अधिक होने की संभावना है, और उन्हें शामिल करने से वे सक्रिय नागरिक बन सकेंगी। सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए कि जवाबदेही मंच मज़बूत व लड़कियों के लिए अधिक सुलभ हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सभी सामाजिक–आर्थिक–भौगोलिक पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों तक पहुंचे।

यह प्रोजेक्ट किशोरियों द्वारा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की समझ और उनकी अपेक्षाओं व सुझावों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जवाबदेही तंत्र को मज़बूत बनाने के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट में जवाबदेही का मतलब है कि सिस्टम और उसके हितधारकों, जैसे कि सरकारी कर्तव्यपालकों को उन प्रतिबद्धताओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराना जो उन्होंने किशोरियों के विकास के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर लागू की हैं। साथ ही, उन्हें किशोरियों के समग्र विकास के प्रति जवाबदेह बनाना है। जवाबदेही तंत्र में वे मंच और प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके माध्यम से किशोरियां अपने मुद्दे, चिंताएं और मांगें उठाकर सिस्टम के हितधारकों को उनकी प्रतिबद्धताओं और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकती हैं। इन तंत्रों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम किशोरियों की जरुरतों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी बना रहे।

चूँकि किशोरियों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके पास अपने विचार व्यक्त करने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए कौशल और क्षमताएँ हों, साथ ही अपनी राय व्यक्त करने के लिए मंचों तक उनकी पहुँच हो। इसके अलावा, एक स्थायी, सहायक और सुरक्षित वातावरण जो इन मंचों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, सिस्टम द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे पहले, आईसीआरडब्ल्यू ने भारत, केन्या और युगांडा में लड़कियों के लिए सिस्टम को जवाबदेह बनाने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेज़ तैयार करने के लिए एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन ने उन विभिन्न तंत्रों की समझ विकसित करने में मदद की जो इन तीन देशों में जवाबदेही प्रक्रियाओं में किशोरियों और युवाओं की सार्थक भागीदारी को सक्षम बनाते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि सिस्टम के हितधारकों के साथ जुड़ने में किशोरियों को जिन सहूलियतों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन पर गहराई से ध्यान देने और उनकी अपेक्षाओं और माँगों को दर्ज करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ, इस प्रोजेक्ट को किशोरियों की जवाबदेही तंत्र में भागीदारी के लिए एक व्यापक रुपरेखा विकसित करने हेतु शुरू किया गया। यह रुपरेखा लड़कियों के अनुभवों पर आधारित है तथा उनके साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है ताकि यह जवाबदेही तंत्र प्रभावी और उत्तरदायी बन सके।

प्रोजेक्ट के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, संकल्पनात्मक रूपरेखा

02

इस प्रोजेक्ट के दो आपस में जुड़े उद्देश्य थे – पहला, एक जवाबदेही रुपरेखा विकसित करना जो किशोरियों के लिए सिस्टम हितधारकों[3] से जुड़े समर्थकों, बाधाओं और अपेक्षाओं को समझ सके। दूसरा, लड़कियों के साथ संवाद प्रक्रिया के माध्यम से उनकी क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को विकसित करना ताकि वे जवाबदेही रुपरेखा के सह–निर्माण में भाग ले सकें। इस वैश्विक प्रोजेक्ट के माध्यम से आईसीआरडब्ल्यू ने निम्नलिखित प्रश्नों की जांच करने का प्रयास किया:

1. किशोर लड़कियां सिस्टम के हितधारकों के साथ बातचीत या संपर्क करके उन्हें जवाबदेह बनाने हेतु किन तंत्रों का उपयोग करती हैं?
2. सिस्टम के साथ संवाद करते समय किशोर लड़कियों को कौन–कौन सी चुनौतियां और बाधाएं झेलनी पडती हैं?
3. किशोर लड़कियों की सिस्टम से क्या अपेक्षाएं और मांगें हैं?

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह प्रोजेक्ट लड़कियों द्वारा साझा किए गए दृष्टिकोणों और अनुभवों पर आधारित है, तथा इसका उद्देश्य इन देशों में सिस्टम आधारित जवाबदेही की सीमा पर टिप्पणी या मूल्यांकन करना नहीं है।

२.१ कार्यप्रणाली

यह प्रोजेक्ट कार्यप्रणाली समावेशिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थी, अर्थात इसमें विभिन्न देशों से किशोरियों की आवाज़ों को शामिल करने का प्रयास किया गया। दूसरा, प्रोजेक्ट में एक लड़की–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें किशोरियों के साथ परामर्श कर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन विकसित किया गया, ताकि प्रोजेक्ट की गतिविधियाँ उनके अनुभवों पर आधारित हों और उनके नेतृत्व में संचालित हों, जैसे सहकर्मी–से–सहकर्मी चर्चाएँ। अंत में, सहयोग भी प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसने प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किया, तथा हमारे साझेदार संगठनों और स्वयं लड़कियों के साथ सक्रिय भागीदारों के रूप में सहयोग किया।

आईसीआरडब्ल्यू ने एजीआईपी सदस्य संगठनों और अपने नेटवर्क के अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) से संपर्क किया, जो अपने–अपने देशों में किशोरियों के मुद्दों पर व्यापक रूप से काम कर रहे थे। संगठनों के साथ प्रोजेक्ट के बारे में एक विस्तृत नोट साझा किया गया। सात विभिन्न देशों से नौ संगठनों ने

---

[3] इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, सिस्टम के हितधारक उन सरकारी सिस्टमों/प्रतिनिधियों या राज्य–आधारित कर्तव्य धारकों को संदर्भित करते हैं, जो सरकारी ढांचे के भीतर कार्य करने वाले अभिनेता या संस्थान हैं जिन पर संवैधानिक और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट में 'सिस्टम के हितधारक,' 'कर्तव्य धारक,' और 'राज्य अभिनेता' शब्दों का एक–दूसरे के लिए परस्पर उपयोग किया गया है।

भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्हें प्रोजेक्ट का विस्तृत ब्यौरा प्रदान किया गया। इन संगठनों ने प्रोजेक्ट के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त किशोरियों और युवा महिलाओं को नामित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रोजेक्ट के विभिन्न चरणों के दौरान अपना दृष्टिकोण और विशेषज्ञता भी प्रदान की। प्रोजेक्ट ने लड़कियों के अनुभवों में निहित उनकी आवाज़ों को केंद्र में रखते हुए भागीदारीपूर्ण, परामर्शात्मक और सहयोगात्मक पद्धति अपनाई।

सहभागिता की निम्नलिखित संरचनाओं को अपनाया गया:

१. **बालिका सलाहकार समिति (जीएसी):** यह एक महत्वपूर्ण निकाय था जिसे प्रोजेक्ट को मार्गदर्शन देने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि लड़कियों और युवा महिलाओं (वाई डब्ल्यू) की आवाजें प्रोजेक्ट की सभी प्रक्रियाओं में शामिल हों। यह एक सलाहकार निकाय था जो प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और लड़की–नेतृत्व वाली परामर्श प्रक्रियाओं से प्राप्त जानकारी पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता था तथा जवाबदेही रुपरेखा को सह–निर्मित करने में मदद करता था। केन्या, कैमरून, मैक्सिको, भारत, नेपाल और कंबोडिया के संगठनों द्वारा सात किशोरियों/युवा महिलाओं को जीएसी सदस्यों के रूप में नामित किया गया। केन्या से दो सदस्य प्रतिनिधित्व कर रही थी। प्रोजेक्ट चक्र के दौरान जीएसी को 3 बार ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से आयोजित किया गया।

२. **किशोर लड़कियों का समूह:** 16 किशोर लड़कियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें 8 संगठनों से नामांकित लड़कियां शामिल थी। प्रत्येक साझेदार संगठन ने दो लड़कियों को नामांकित किया। इस समूह के साथ चार गहन ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में लड़कियों को एक–दूसरे और प्रोजेक्ट से परिचित कराया गया तथा परियोजना डिज़ाइन एवं उद्देश्यों पर उनकी राय ली गई। यह उनके लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा करने का भी एक अवसर था। दूसरी कार्यशाला में उन्हें लड़की–नेतृत्व वाली चर्चाओं और इसके टेम्पलेट और उपकरणों से परिचित कराया गया। तीसरी कार्यशाला में उन्होंने जीएलडी से प्राप्त निष्कर्ष और अनुभव प्रस्तुत किए, तथा अंतिम कार्यशाला में उन्होंने जवाबदेही प्लेटफॉर्म को सह–निर्मित करने के लिए एक साथ काम किया, जिसमें उन्होंने पहले की कार्यशालाओं से प्राप्त सीखों का उपयोग किया।

फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

३. **लड़की-नेतृत्व वाली चर्चाएं (जीएलडी):** समूह की सदस्यों ने अपने स्थानीय समुदायों में अपनी साथी लड़कियों के साथ चर्चाएं की। समूह के सदस्यों द्वारा 18 जीएलडी आयोजित की गई जिनमें कुल 112 लड़कियां शामिल हुई। प्रत्येक जीएलडी में 6 से 8 लड़कियां थी। इन चर्चाओं का ध्यान लड़कियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को समझने, प्रणाली के हितधारकों के साथ उनकी सहभागिता के माध्यमों और उन्हें जवाबदेह ठहराने के तरीकों, सिस्टम से जुड़ने में सहायक और बाधक कारकों और किशोर लड़कियों की मांगों और अपेक्षाओं को समझने पर था।

४. **ऑनलाइन परामर्श:** प्रत्येक नौ संगठनों के साथ ऑनलाइन परामर्श आयोजित किए गए। इन परामर्शों में संगठन टीम के सदस्य, समन्वयक और सभी नामित लड़कियां उपस्थित थी। यह प्रोजेक्ट गतिविधियों के अंत में आयोजित किया गया ताकि प्रत्येक देश के संदर्भों को गहराई से समझा जा सके और अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों में किसी भी कमी को पूरा किया जा सके।

२.२ प्रोजेक्ट भौगोलिकता एवं साझेदार संस्थाएं

भौगोलिकता : **अफ्रीका** (तंज़ानिया, केन्या, कैमरून) **एशिया** (कंबोडिया, नेपाल, भारत) और **लैटिन अमेरिका** (मेक्सिको)

साझेदार संस्थाएं:

क्र.सं.	संस्थाएं	देश
1	एम्पलीफाई गर्ल्स	केन्या और तंजानिया
2	सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एडोलसेंस (सीएसए)	केन्या
3	कम्युनिटी सेंटर फॉर इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट (सीसीआईडी)	कैमरून
4	इंटरनेषनल प्लांड पैरेंटहुड फाउंडेशन (आईपीपीएफ)– मेक्सफैम	मेक्सिको
5	दिस लाइफ	कंबोडिया
6	वॉइस ऑफ चिल्ड्रन	नेपाल
7	इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यू)	झारखंड, भारत
8	चिल्ड्रन बिलीव – पार्टनर रोप्स	आंध्र प्रदेश, भारत
9	द वाईपी फाउंडेशन	दिल्ली, भारत

२.३ संकल्पनात्मक रुपरेखा:

ब्रॉन्फेनब्रेनर के सामाजिक–पर्यावरणीय मॉडल का उपयोग यह समझने के लिए किया गया कि वे कौन से कारक हैं, जो लड़कियों की सिस्टम हितधारकों के साथ सहभागिता को सक्षम बनाते हैं या बाधा डालते हैं। इस प्रोजेक्ट ने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सीएसओ और सिस्टम स्तरों पर कारकों का विश्लेषण किया। चूंकि लैंगिक मानदंड इन सभी स्तरों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें एक अंतर्विभागीय विषय के रूप में विश्लेषित किया गया। सामाजिक–पर्यावरणीय मॉडल विभिन्न

स्तरों पर कार्यरत कारकों की परस्पर संबंधता का विश्लेषण करने के लिए एक समग्र रुपरेखा प्रदान करता है, जो लड़कियों के वास्तविक अनुभवों को प्रभावी ढंग से दर्शाता है।

व्यक्तिगत स्तर पर, यह जांचा गया कि लड़कियों के खुद के साथ संबंध उनके आत्म–विश्वास और संवाद कौशल पर कैसे प्रभाव डालते हैं। पारिवारिक स्तर पर यह विश्लेषण किया गया कि श्रम का विभाजन, लैंगिक रूढ़ीवादिता और सामुदायिक संस्कृति लड़कियों की गतिशीलता और कल्याण पर कैसे प्रभाव डालते हैं। सीएसओ स्तर पर, इसने सिविल सोसायटी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण किया कि वह लड़कियों की सहभागिता को कैसे आकार देता है। सिस्टम स्तर पर इसने मूल्यांकन किया कि सरकारी सिस्टम इसके मंच और इसमें कार्यरत व्यक्ति लड़कियों की जवाबदेही की मांग करने की क्षमता को सक्षम या बाधित कैसे करते हैं। अंत में, घरेलू काम, देखभाल की ज़िम्मेदारियों और हिंसा से जुड़े लैंगिक मानदंडों का विश्लेषण किया गया।

फोटो क्रेडिट: Shutterstock

February
2017
What are they?
They are fish.
What are they?
They are birds.
What are they?
They are horses.
What are they?
are Soldiers.

२.४ नैतिकता और सिद्धांत

लड़कियों और सम्मिलित सीएसओ पार्टनर प्रतिनिधियों की सहमति, गुमनामी और गोपनीयता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया। जीएलडीज के लिए लड़कियों को नैतिकता प्रशिक्षण एवं हैंडआउट्स प्रदान किए गए। अध्ययन के दौरान स्वैच्छिक भागीदारी, सहमति, गुमनामी, गोपनीयता, एवं साझेदारी की जिम्मेदारी जैसे नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के अलावा, लड़कियों को इन सिद्धांतों पर जीएलडी आयोजित करने तथा उन्हें प्रलेखित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

२.५ प्रोजेक्ट की सीमाएं

संसाधन और समय की कमी के कारण गतिविधियाँ ऑनलाइन आयोजित की गई। जहाँ एक ओर इससे विभिन्न देशों से आई लड़कियों को एक साथ भाग लेने, योगदान देने, एक–दूसरे को सुनने तथा सीखने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर इसने इंटरएक्टिव गतिविधियों की प्रकृति और लड़कियों से अपेक्षित समय की प्रतिबद्धता पर कुछ बाधाएँ भी डाली। दूसरे, एक वैश्विक अध्ययन के रूप में, प्रतिभागियों ने अलग–अलग समय क्षेत्रों से ज़ूम के माध्यम से भाग लिया, और कुछ प्रतिभागी गैर–अंग्रेजी भाषी थी (जिनके लिए अनुवाद सहायता प्रदान की गई)। हालांकि, तकनीकी समस्याएँ, नेटवर्क के मुद्दे, और अनुवाद के कारण होने वाली समय–सीमाएं कभी–कभी कार्यशाला की प्रवाहिता को प्रभावित करती थी तथा लड़कियों की एकाग्रता और सहभागिता पर असर डाल सकती थी। अधिकांश लड़कियों ने साझा किया कि वे ऐसी कार्यशालाओं में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहेंगी। अंततः समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण यह प्रोजेक्ट विभिन्न देशों से केवल एक छोटे समूह की लड़कियों के साथ जुड़ने में सक्षम रही। सभी देशों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली लड़कियों के एक विविध समूह को शामिल करने हेतु अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता थी।

मुद्दे एवं जवाबदेही तंत्र

03

यह अनुभाग लड़कियों द्वारा पहचाने गए उन प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रोजेक्ट निष्कर्शों को प्रस्तुत करता है जो उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात यह सिस्टम हितधारकों के साथ इन मुद्दों को उठाने या लड़कियों को उनके अधिकारों व हकों तक पहुँचने में असमर्थ होने पर शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध जवाबदेही तंत्रों को प्रस्तुत करता है।

३.१ किशोरियों के सामने आने वाली प्रमुख बाहरी चुनौतियाँ

यह अनुभाग किशोरियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ये वे मुद्दे थे जिनके बारे में लड़कियों ने कार्यशालाओं, बैठकों और जीएलडी के दौरान बताया। जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी मुद्दों को सभी प्रतिभागियों द्वारा साझा किया गया।

> “हम लड़कियों के आभारी हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और जीएलडी में अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया, हमें एहसास हुआ कि हम सभी की समस्याएं एक जैसी हैं।”
>
> – गर्ल लीडर, नेपाल

क) पारिवारिक स्तर: लड़कियों ने अपने परिवारों में आने वाली कई चुनौतियों के बारे में बताया। इनमें घरेलू हिंसा, घर के कामों का बेहिसाब बोझ, आने–जाने पर प्रतिबंध, बेटों को प्राथमिकता देना और स्कूल या समुदाय में लड़कों के साथ संवाद पर प्रतिबंध शामिल हैं। ज़्यादातर प्रतिभागियों ने बताया कि बचपन से

फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

लेकर किशोरावस्था तक आमतौर पर बेटों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़्यादा संसाधन और समय दिया जाता है, जबकि लड़कियों को उपेक्षा और देखभाल के बोझ का सामना करना पड़ता है। इसका उनके मनोरंजन के समय और गतिविधियों तक पहुँच, यहाँ तक कि पढ़ाई के समय पर भी गंभीर असर पड़ता है।

ख) सामाजिक स्तर: सामाजिक स्तर पर कई प्रथाएं हैं जो लड़कियों के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। एक मुख्य चुनौती बाल विवाह और जबरन विवाह है, जो उन अधिकांश स्थानों में जारी है जहां से हमारे अध्ययन में संस्थानों ने भाग लिया। कई लड़कियों ने साझा किया कि उनके समुदाय में उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है जिससे उनकी आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लगते हैं। माहवारी से जुड़ी गरीबी को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में बताया गया, क्योंकि अधिकांश लड़कियों ने कहा कि उनके समुदायों में लड़कियों को सुरक्षित माहवारी उत्पादों तक पहुंच नहीं है, भले ही कई देशों में सरकार द्वारा इसे उपलब्ध कराने की योजनाएं हों। अफ्रीका में महिला यौनांग विकृति (फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन) को एक हानिकारक सामाजिक प्रथा के रूप में पहचाना गया जो केन्या और तंज़ानिया के कुछ हिस्सों में अब भी हो रही है तथा लड़कियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। केन्या में किशोरावस्था में गर्भावस्था की उच्च दर भी लड़कियों के शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई। यहां तक कि लड़कियों ने यौन संबंधों के प्रति कलंक को खत्म करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। मेक्सिको में फिरौती के लिए युवा लड़कियों के अपहरण को भी एक प्रमुख चिंता के रूप में रेखांकित किया गया।

> **“अगर हम किसी लड़के से पढ़ाई के बारे में बात भी करते हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ गलत है और हमारे माता–पिता से शिकायत कर देते हैं। वे यह तक नज़र रखते हैं कि हम कहां और किसके साथ जा रहे हैं, जिससे हमारी आज़ादी का अधिकार सीमित हो जाता है।”**
>
> – गर्ल लीडर, भारत

ग) स्कूल स्तर: लड़कियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने की बात कही, जिनमें से कई समस्याएं बुनियादी रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ लिंग आधारित उत्पीड़न से संबंधित हैं। एक प्रमुख समस्या सुरक्षित और कार्यशील शौचालयों की कमी है, जिनमें पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं नहीं होती। सुरक्षित पीने के पानी की कमी भी लड़कियों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तथा स्कूल से अधिक अनुपस्थिति होती है। महिला शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होना भी एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में सामने आया। लड़कियां महिला शिक्षकों के साथ अपनी समस्याओं को साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं, और उनकी अनुपस्थिति उनके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अलावा स्कूलों और आसपास के इलाकों में लड़कों द्वारा की जाने वाली बदमाशी और उत्पीड़न, विशेष रूप से अफ्रीका और नेपाल से आई लड़कियों द्वारा रिपोर्ट किया गया कि यह भय और तनाव का माहौल बनाता है, जो उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इन सभी समस्याओं के साथ–साथ बेटों को प्राथमिकता देने की मानसिकता भी लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण बनी है।

फोटो क्रेडिट: Shutterstock

> स्कूल के बुनियादी ढांचों में बदलाव सिर्फ दीवारों की पेंटिंग में ही दिखाई देती हैं।
>
> – गर्ल लीडर, भारत

घ) राज्य स्तर: समग्र स्तर पर लड़कियों ने बताया कि एक मुख्य चुनौती योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी थी। जीएलडी में कई लड़कियों ने पाया कि उनकी साथी लड़कियाँ योजनाओं के बारे में नहीं जानती हैं, तथा उनके पास उस जानकारी को प्राप्त करने का कोई स्रोत भी नहीं है। नेपाल में, लड़कियों ने बताया कि कुछ मामलों में लड़कियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने और दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालाँकि यह ज़्यादातर लड़कियों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है।

३.२ जवाबदेही तंत्र

लड़कियों ने साझा किया कि कई देशों में सरकार ने उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सख्त कानून बनाए हैं तथा लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं विकसित की हैं। हालांकि उनकी समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं और वे प्रशासनिक समस्याओं के कारण या लैंगिक मानदंडों की बाधाओं के कारण इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इस अनुभाग में उन विभिन्न मंचों पर प्रकाश डाला जाएगा जिनका उपयोग लड़कियों ने सिस्टम को उसकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह ठहराने और अपनी शिकायतें उठाने के लिए किया है। इन तंत्रों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है।

यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि इन तंत्रों की सूची लड़कियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और आईसीआरडब्ल्यू के हालिया अध्ययन से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। जो कि भारत, केन्या और युगांडा में तंत्रों की जांच करता है। अन्य देशों के लिए त्वरित साहित्यिक समीक्षा की गई, गहन साहित्यिक समीक्षा इस कार्य के दायरे में नहीं थी। यह तंत्रों की संपूर्ण सूची नहीं है, तथा प्रोजेक्ट वाले देशों में अतिरिक्त तंत्र भी मौजूद हो सकते हैं।

३.२.१ सरकारी नेतृत्वयुक्त जवाबदेही तंत्र

भारत और नेपाल में सरकार द्वारा संचालित कुछ अभियानों की रिपोर्ट की गई जो जवाबदेही मंच के रूप में काम करती हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इन्हें सरकारी कानूनों या नीतियों का हिस्सा होने के कारण वैध बनाया गया है, जिनमें से कुछ को सरकारी फंडिंग भी मिल रही है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

क) चाइल्ड क्लब- नेपाल

नेपाल सरकार के निर्देशानुसार ये क्लब सरकारी स्कूलों में 10 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए चलाए जाते हैं। ये 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों के चुने हुए निकाय हैं, जहाँ प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग एक छात्र का चुनाव करता है, ताकि वे कक्षा की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बाल क्लबों में भाग ले सकते हैं। फोकल व्यक्ति कक्षा शिक्षक होते हैं। अक्सर इन क्लबों में स्कूल और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है और फिर उन्हें प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों तक पहुँचाया जाता है। लड़कियों के अनुसार, इन क्लबों ने स्कूलों में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने उठाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए हैं। वे बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

ख) बाल अधिकार समिति - स्थानीय, नगरपालिका एवं प्रांतीय स्तर पर - नेपाल

यह निकाय समय–समय पर प्रांत, नगरपालिका और स्थानीय स्तर पर बच्चों की समग्र स्थिति और उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का निरीक्षण और निगरानी करता है। सामाजिक सेवा प्रदाता और मनोवैज्ञानिक, स्थानीय बाल अधिकार समिति के साथ काम करते हैं। इस समिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय–आधारित संगठन (सीबीओ), महिला समूह और पुलिस आदि जैसे विभागों के प्रतिनिधियों का एक संयोजन है। समिति में बच्चों के क्लब के प्रतिनिधि भी हैं (1 लड़की, 1 लड़का सहित 2 बच्चे)। यह नेपाल सरकार के बाल अधिनियम, (2018) के तहत अनिवार्य है। प्रतिभागियों का इन समितियों से सीमित संपर्क था और इस पर कोई अतिरिक्त डेटा साझा नहीं किया गया था।

ग) बाल संसद (बच्चों की संसद) - भारत

बाल संसद के अधिदेश के तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार सांसद चुना जाता है। उदाहरणार्थ, 40 विद्यार्थियों के मामले में 20 निर्वाचित सांसद होते हैं, यदि नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 40 से 100 के बीच है तो 30 निर्वाचित सांसद होते हैं। प्रत्येक बाल संसद में एक प्रधानमंत्री, विभिन्न विभागों के मंत्री और विभिन्न वर्गों से संसद सदस्य होते हैं। इस बाल संसद में कुल 11 मंत्री होते हैं। इन निर्वाचित मंत्रियों में से 50% लड़कियां होनी चाहिए। यह निकाय स्कूल में बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने, समाधान सुझाने और बदलाव लाने के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से काम करता है (एजुकेशन झार, 2024)। लड़कियों और संगठन के प्रतिनिधियों को इस तंत्र के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने बताया कि इसे अप्रभावी रूप से लागू किया गया है और अधिकांश स्कूलों में यह मौजूद नहीं है।

घ) ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वीएलसीपीसी) - भारत

बाल संरक्षण समिति या सीपीसी समुदाय में बाल संरक्षण के मुद्दों की निगरानी, रिपोर्टिंग और जवाब देने के लिए ज़िम्मेदार है। सीपीसी स्थानीय बाल संरक्षण समस्याओं के मुद्दे के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिनव गतिविधियों की योजना बनाती है तथा उन्हें अपनाती है। सीपीसी बाल संरक्षण के मुद्दों पर समुदाय में गतिविधियों के लिए जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के साथ निकट समन्वय में काम करती है। यह बाल संरक्षण के मुद्दों के समाधान के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं भी विकसित करती है। यह समुदाय स्तर पर बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न हितधारकों और कर्तव्यधारकों को शामिल करता है। वीएलसीपीसी में नौ सदस्य यानी पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) का एक प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सामुदायिक कार्यकर्ता), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की एक सक्रिय महिला, एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) का एक प्रतिनिधि और बाल संसद के दो प्रतिनिधि (1 लड़की, 1 लड़का) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, ब्लॉक

स्तरीय बाल संरक्षण समिति (बीएलसीपीसी), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ), एससीपीएस (पुलिस अधीक्षक (एसपी), और ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) के सदस्य वीएलसीपीसी की बैठक के दौरान भाग ले सकते हैं। समिति का कार्यकाल तीन साल का होता है और उसके बाद इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए। महिला सदस्यों के लिए कम से कम तीन सीटें आरक्षित हैं, जिनमें बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में एक लड़की शामिल है। लड़कियों ने बताया कि वीएलसीपीसी की प्रभावशीलता में काफी भिन्नता है, कुछ जगहों पर वे सक्रिय और कार्यात्मक हैं और अन्य में नहीं। लड़कियों ने स्वयं अपनी किसी भी चिंता को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं किया। संगठन के प्रतिनिधि इन समितियों की उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक थे, जो लड़कियों और उनके समुदायों के साथ इस तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और इसकी प्रभावशीलता को मज़बूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

च) बालिका पंचायत – भारत

बालिका पंचायत एक आरंभिक पहल है जिसे किशोरियों और युवा महिलाओं को स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एकीकृत करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। गुजरात में इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में लड़कियों की भागीदारी और जागरूकता को बढ़ाना था। गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के साथ–साथ कच्छ ज़िले की 4 पंचायतों में 11–21 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए 'बालिका पंचायत' (लड़कियों के नेतृत्व वाली ग्राम परिषद) के चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन किया। महाराष्ट्र के नांदेड जिले में एक महिला ज़िला परिषद सीईओ (एक शहरी स्थानीय शासन कार्यालय) के नेतृत्व में 2023–24 में इसी तरह की परियोजनाएं आयोजित की गईं। बालिका पंचायतों ने शराबखोरी, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (माधव केजरीवाल, 29 अगस्त, 2023, द हिंदू)। हालाँकि ध्यान देने वाली दो बातें हैं, सबसे पहले, यह पहल काफी हद तक स्थानीय अधिकारियों की प्रतिबद्धता और विवेक पर निर्भर है क्योंकि इसका कोई कानूनी समर्थन नहीं है। दूसरे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लड़कियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने नहीं आई। इस तंत्र की पहचान 2023 में भारत, केन्या और युगांडा में जवाबदेही तंत्र की पहचान करने पर किए गए आईसीआरडब्ल्यू के अध्ययन के दौरान की गई थी।

३.२.२ सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशनों (सीएसओ) के नेतृत्व में व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र

जैसा कि पिछले भाग में देखा गया है, सरकार द्वारा संचालित बहुत कम तंत्र हैं जिनका उपयोग करके लड़कियाँ सरकार से जवाबदेही की माँग कर सकती हैं। अधिकांश बातचीत में लड़कियों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए स्थानीय सीएसओ की उपस्थिति का लाभ उठाने की बात कही। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है।

क) ग्लो क्लब – कैमरून

ग्लो क्लब किशोरियों के नेतृत्व वाला क्लब और एक चर्चा और क्षमता निर्माण केंद्र है, जहाँ लड़कियाँ अपने लक्ष्य साझा करती हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमताओं को मज़बूत किया जाता है। इसे अमेरिका की एक पहल से अपनाया गया था। दुनिया के कई देशों में ग्लो क्लब हैं और एक ग्लो कैलेंडर है जहाँ घटनाओं को चिह्नित किया जाता है। सीसीआईडी कैमरून भी इसमें भागीदार है। लड़कियाँ एक गहन क्षमता सुदृढ़ीकरण पाठ्यक्रम में दाखिला लेती हैं और इस पहल के हिस्से के रूप में उन्हें सलाह दी जाती है। इसके माध्यम से लड़कियों को अपने और समुदायों की वकालत करने का आत्मविश्वास और कौशल प्राप्त होता है।

> “ग्लो क्लब में हर सप्ताह हमारे सत्र होते हैं तथा वे लड़कियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लड़कियाँ आमतौर पर शुरू में बहुत शर्मीली और झिझकती हैं क्योंकि उनमें से कई लिंग–आधारित हिंसा की शिकार होती हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद उनमें से कई को शिक्षा और वकालत दोनों में आत्मविश्वास मिलता है।
>
> – संगठन प्रतिनिधिं”

ख) सीएफएएम - रोप्स, भारत

चाइल्ड फ्रेंडली एकाउंटबिलिटी मैकेनिज्म (सीएफएएम), जिसे 2017 से चिल्ड्रन बिलीव द्वारा रोप्स के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है, इसका उद्देश्य 13 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों को बाल संरक्षण प्रणालियों के प्रदर्शन की निगरानी करने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सामुदायिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निर्णय–निर्माताओं के साथ सूचित संवाद में भाग लेने में सक्षम बनाना है। सीएफएएम कार्यप्रणाली में गहन और निरंतर क्षमता–वृद्धि अभ्यास शामिल हैं, जो बच्चों को जवाबदेही की मांग में सक्षम होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करते हैं। यह किशोरियों को समितियां और समूह संगठित करने की अनुमति देता है ताकि वे बाल विवाह, माहवारी स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच, और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)[4] योजनाओं के तहत प्रावधानों जैसे विभिन्न मुद्दों को उठा सकें।

> “सीएफएएम आंध्र प्रदेश के 7 गांवों में बाल विवाह रोकने में कामयाब रहा है। यह एक सामूहिक संस्था है जो मासिक बैठकों के माध्यम से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। प्रत्येक गाँव में एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं और बच्चे सीएफएएम समिति के इन नेताओं से संपर्क करते हैं जो फिर स्थानीय नेताओं से संपर्क करते हैं। इस उदाहरण में, उन्होंने ग्राम विकास समिति (वीडीसी) के साथ सहयोग किया और वीडीसी सदस्यों की उपस्थिति में शपथ ली कि वे जल्दी/जबरन विवाह नहीं होने देंगे। शपथ ग्रहण अनुष्ठान में न्यायाधीश भी शामिल हुए क्योंकि उन्होंने जिला न्यायाधीश को भी याचिका दी थी। सीएफएएम के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और जब कोई छात्रा स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहती है तो वे यह जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसकी शादी हो रही है और यदि ऐसा होता है, तो लड़कियों की शिक्षा और बच्चों के अधिकारों पर समुदाय और परिवार को संवेदनशील बनाकर माता–पिता और पड़ोस के समुदाय पर इसे रोकने के लिए दबाव डालते हैं।
>
> – संगठन प्रतिनिधि”

ग) युवा महिला एडवोकेसी नेटवर्क (वाईडब्ल्यूएएन) - सीएसओ, केन्या

यह सामुदायिक स्कोरकार्ड और बज़ट ट्रैकिंग जैसे सहभागी उपकरणों का उपयोग करके मेरु काउंटी में युवा महिलाओं को सशक्त बनाता है। ये उपकरण युवा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच) में तथा स्थानीय अधिकारियों को

---

[4] आईसीडीएस भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास में सुधार करना है।

जवाबदेह ठहराने में (रटगर्स, 2018)। सामुदायिक संवादों को सुविधाजनक बनाकर वाईडब्ल्यूएएन युवा महिलाओं और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के बीच सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है, जिससे सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। साहित्य स्कैन के दौरान इस पहल की भी पहचान की गई।

घ) शी लीड्स - प्लान इंटरनेशनल एवं अन्य, केन्या

'शी लीड्स' का उद्देश्य राष्ट्रीय और काउंटी दोनों स्तरों पर निर्णय लेने वाले स्थानों में लड़कियों और युवा महिलाओं के नेतृत्व एवं भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह पहल समुदाय के सदस्यों और संस्थागत कार्यकर्ताओं (रेस्टलेस डेवलपमेंट एवं ओस्लो सेंटर, 2023) के बीच चल रही बातचीत को प्रोत्साहित करके सामाजिक जवाबदेही पर जोर देती है। कार्यशालाओं तथा एडवोकेसी अभियानों के माध्यम से यह प्रोजेक्ट लड़कियों के नेतृत्व के अवसरों को प्रतिबंधित करने वाले नकारात्मक सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने का प्रयास करती है, जिससे उन्हें खुद के अधिकारों का दावा करने तथा अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया जा सके (खुराना, एट अल, 2023)। वर्ष 2023 में भारत, केन्या और युगांडा में जवाबदेही तंत्र की पहचान करने पर किए गए आईसीआरडब्ल्यू की स्टडी के दौरान इस तंत्र की पहचान की गई थी।

च) बाल कचहरी - सेव द चिल्ड्रन, नेपाल

बाल कचहरी नेपाल में सेव द चिल्ड्रन द्वारा चलाया जाने वाला एक सामाजिक उत्तरदायी उपकरण है। 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपने समुदायों में अंतर्पीढ़ीगत संवाद आयोजित करते हैं तथा स्थानीय सेवा प्रदाताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, अन्य कर्तव्य–धारकों एवं प्रभावशाली हितधारकों को प्रतिबद्धता से लेकर कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई तक चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। ये न्यायालय बच्चों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और बाल विवाह, खाद्य सुरक्षा, आजीविका, शिक्षा और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे हानिकारक सामाजिक मानदंडों पर अंकुश लगाने में उनकी भूमिका के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने में सफल रहे हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पहल की पहचान साहित्य स्कैन (सरोज एवं बेल, 2024, सेव द चिल्ड्रन) के दौरान की गई थी।

बॉक्स १: प्रमुख विचार

ज़्यादातर जवाबदेही तंत्र लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए होते हैं। हालांकि इनमें से कई मंच सार्वभौमिक मॉडल नहीं हैं जो देश के सभी हिस्सों में मौजूद हों, इसलिए उनकी उपस्थिति सीमित होती है। सरकार द्वारा संचालित मंच बहुत कम देशों में मौजूद हैं तथा प्रभावी कार्यान्वयन की कमी भी है। अक्सर ये केवल कागज़ों पर ही होते हैं और व्यवहारिकता में उसी इरादे से लागू नहीं होते। इसके अलावा, क्योंकि इनमें से कुछ मंच स्कूलों में संचालित होते हैं, जो स्कूल से बाहर की लड़कियों के लिए सुलभ नहीं होते, जिसके कारण अत्यधिक ज़ोखिमयुक्त किशोरियों का समूह हाशिये पर रहता है।

दूसरी ओर, सीएसओ द्वारा संचालित तंत्र विभिन्न देशों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हैं। ये मंच मुख्यतया बच्चों एवं किशोरियों को संगठित करने, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने, चर्चा के लिए सुरक्षित स्थान बनाने, क्षमता निर्माण और स्थानीय सरकारी निकायों के लिए भ्रमण का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं और अधिकारों तक पहुंच के संबंध में निगरानी रखना तथा शिकायतें भेजना होता है। हालांकि इनकी स्थिरता सीमित होती है। लड़कियों के साथ जुड़ाव और सीएसओज द्वारा बनाए गए मंच, कभी–कभी सरकारी निकायों के साथ साझेदारी में लंबे समय तक जारी नहीं रह पाते और किशोरों के सशक्तिकरण के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में विफल हो जाते हैं। यह आमतौर पर संसाधनों की कमी के कारण होता है, जिससे किशोरियां असंतोष व निराशा का अनुभव करती हैं।

३.२.३ स्थानीय शासन इकाइयाँ

बॉक्स 1 में उल्लेखित चुनौतियों के कारण, तथा जवाबदेही मंच के रूप में डिजाइन किए गए मज़बूत मंचों की अनुपस्थिति में, लड़कियाँ अन्य तरीकों का उपयोग करती हैं, तथा वे अक्सर सिस्टम हितधारकों से जवाबदेही प्राप्त करने हेतु स्थानीय शासन इकाइयों का लाभ उठाती हैं। लड़कियों द्वारा बताए गए इन तंत्रों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है। ये इकाइयाँ स्थानीय शासन निकाय हैं जो शासन की विकेंद्रीकृत और हस्तांतरित इकाइयाँ हैं और देश के कानूनों के तहत स्थापित की जाती हैं और राज्य द्वारा प्रायोजित होती हैं। किशोरियों के लिए विशिष्ट मंचों की अनुपस्थिति में उन्हें वास्तव में जवाबदेही मंच के रूप में उपयोग किया जाता है।

क) ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) - भारत

ग्राम पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर काम करने वाली बुनियादी शासन इकाई है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सामान्य निकाय के रूप में काम करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। इसमें सचिव के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी भी होता है, जो सदस्यों को प्रतिदिन के कामकाज में सहायता करता है। परिषद का मुखिया कुछ कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लड़कियों ने बताया कि वे अक्सर पंचायत सदस्यों या सचिव के पास अपनी शिकायतें लेकर जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें उनके अधिकारों से संबंधित होती हैं।

सरकारी शिक्षा छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह याद करते हुए एक लीडर ने बताया–

> “योजना के लिए फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन ग्राम परिषद के नेता ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देरी आम तौर पर सिस्टम की ओर से होती है और हमारी फाइल कभी–कभी प्रिंसिपल की ओर से, या ग्राम परिषद की ओर से या फंड संसाधित करने वाले कार्यालय की ओर से अटक जाती है। जब हम ब्लॉक स्तर पर अभियान के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करते हैं, तो इसके प्रति कोई शिकायत निवारण नहीं होता है। वे हमसे कहते हैं कि छात्रवृत्ति 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है।
>
> – गर्ल लीडर, भारत”

ख) महिलाओं और बच्चों के लिए कम्यून समिति (सीसीडब्ल्यूसी) और ग्राम फोरम बैठकें - कंबोडिया

कंबोडिया में मासिक आधार पर ग्राम स्तर की बैठकें होती हैं– जिन्हें ग्राम फोरम बैठक के रूप में जाना जाता है। शासन का अगला स्तर कम्यून है, जिसमें 10–20 गांव होते हैं। वार्षिक आधार पर, कम्यून समिति फोरम की बैठक होती है। कम्यून स्तर पर, महिलाओं और बच्चों के लिए एक कम्यून समिति होती है, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने तथा उनकी वकालत करने के लिए बनाई जाती है। सभी सदस्य महिलाएं होती हैं और इसमें करीब 19–20 सदस्य होते हैं। जिसमें छात्र परिषद का एक व्यक्ति होता है। इस समिति की जिम्मेदारी महिलाएं लेती हैं। अगर किसी परिवार में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वे समुदाय के घरों में जाती हैं। इन समितियों के लीडर को चुनने के

लिए गांव में चुनाव होते हैं। प्रतिनिधि समय–समय पर स्कूल का दौरा करने आते हैं तथा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाते हैं। सरकार इस समिति के लिए बजट आवंटित करती है। सीसीडब्ल्यूसी फोरम की बैठक मासिक होती है। लड़कियों ने बताया कि कभी कभी वे अपने मुद्दे फोरम बैठक के दौरान उठाती हैं।

> **“ हमने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बाल परिषद और परिषद के नेता के साथ स्कूल स्तर पर एक बैठक आयोजित की। उठाए गए मुद्दों में स्कूल परिसर के नजदीक शवों को जलाने से होने वाली असुविधा, गंदे बाथरूम, कूड़ेदान की कमी, गैंगस्टर और धूम्रपान से होने वाली तकलीफ शामिल थी। फिर हमने तय किया कि कम्यून फोरम की बैठक के दौरान इस मुद्दे को कौन उठाएगा। छात्रों में से एक को कम्यून बैठक में बोलने का मौका मिला और उसने अधिकारी से इन मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया। इससे समस्या सुलझाने में मदद मिली। ऐसी बैठकें वर्ष में एक बार वर्ष की शुरुआत में आयोजित की जाती हैं।**
>
> – गर्ल लीडर, कंबोडिया ”

ग) स्थानीय कार्यकर्ता एवं मंच – केन्या

लड़कियों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले कई प्लेटफॉर्म एवं अधिकारी हैं, जिनसे वे किसी भी परेशानी के मामले में संपर्क कर सकती हैं। सबसे पहले एक सामुदायिक अधिकारी होता है जो वार्ड स्तर पर सरकारी कर्तव्य का पालन करता है, जिससे लड़कियाँ संपर्क कर सकती हैं। यह सामुदायिक अधिकारी प्रिंसिपल के साथ स्कूल बोर्ड का भी हिस्सा हो सकता है। दूसरे, केन्या में बच्चों के अधिकारी के नेतृत्व में एक क्षेत्र सलाहकार परिषद (एएसी) है। यह एक सरकारी नेतृत्व वाली संरचना है जिसे बाल कल्याण गतिविधियों के समन्वय और सामुदायिक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। अंत में, बाल अधिनियम 2022 से प्राप्त एक बाल सलाहकार परिषद है जहाँ बच्चे और किशोरियां शिकायत कर सकते हैं। यह एक काउंटी–आधारित प्लेटफॉर्म है।

बॉक्स २: स्थानीय शासन इकाइयों पर प्रमुख विचार

स्थानीय शासन इकाइयाँ जवाबदेही तंत्र के रूप में नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये सत्ता के विकेन्द्रित केंद्र हैं, जो कई बार स्वयं ही द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। जैसा कि ऊपर दी गई कहानी में योजना लाभों तक पहुँच में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ये स्थान लड़कियों के लिए हमेशा अनुकूल हों ये जरुरी नहीं, जिससे उनकी भागीदारी पर असर पड़ता है। अंततः, कई बार ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं होते हैं और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होते हैं।

३.२.४ व्यक्तिगत लड़की–नेतृत्व पहल

लड़कियों ने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से उठाए गए कुछ कदमों के बारे में भी बताया। व्यवस्थित मंचों के अभाव में, इन तदर्थ व्यक्तिगत उपायों ने व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति भी प्रदर्शित की है।

क) सोशल मीडिया

सोशल मीडिया का लाभ उठाने से कुछ लड़कियों को अधिकारियों तक पहुँचने, अपनी आवाज़ एवं समस्याओं को अन्य लड़कियों और सीएसओ के साथ साझा करने में मदद मिली है। कई लड़कियों ने राज्य के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने और रूढ़िवादी नियमों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाने में सफलतापूर्ण उदाहरण साझा किए।

> मैं एक युवा अधिवक्ता को जानती हूँ जिसने सोशल मीडिया पर एक फोरम (एक फेसबुक पेज) शुरू किया, जहाँ उसने किशोरियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को साझा करना शुरू किया, यहाँ तक कि स्थानीय सीएसओ से भी जुड़ी। उसने अपनी जैसी अनुयायियों से पेज को और अधिक संवेदनशील बनाने और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने विचार साझा करने को कहा। फोरम के प्रभाव का एक उदाहरण एक गर्भवती किशोर लड़की से जुड़ा था जो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन स्कूल अधिकारियों ने उसे मना कर दिया। पेज के माध्यम से लड़की ने अपनी समस्या साझा की, जिसने स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और अंततः मुद्दा माध्यमिक शिक्षा मंत्री तक पहुँचा, जिन्होंने उसे स्कूल लौटने की अनुमति दी।
>
> – गर्ल लीडर, कैमरून

ख) ज्ञापन और आवेदन

ज़िला मजिस्ट्रेट, निचली अदालत के न्यायाधीश और पार्षद जैसे अधिकारियों को ज्ञापन और आवेदन पत्र देकर भी लड़कियों ने सिस्टम के हितधारकों तक अपनी बात पहुंचाई है, जैसे कि समय से पहले और जबरन विवाह पर तत्काल रोक एवं बेहतर परिवहन सुविधा।

बॉक्स ३: व्यक्तिगत लड़की-नेतृत्व पहलों पर प्रमुख विचार

व्यक्तिगत पहल लड़कियों द्वारा संचालित गतिविधियाँ हैं, जो प्रणालीगत नहीं होती हैं तथा लड़कियों की व्यक्तिगत क्षमताओं, कौशल, अनुभव और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती हैं। सभी लड़कियों को डिजिटल लैंगिक विभाजन की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यक्तिगत मोबाइल एवं स्मार्टफोन तक समान स्तर की पहुँच नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में इंटरनेट पर प्रतिबंध भी हैं। इन सभी कारणों से सभी लड़कियाँ सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाती। इसके अलावा इन पहलों के लिए लड़कियों के पास साक्षरता कौशल, विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता कौशल होना आवश्यक है। जिन लड़कियों को साक्षरता संबंधी चुनौतियाँ हैं, वे इन कौशलों तक पहुँचने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं, जिससे वे और अधिक हाशिए पर चली जाती हैं।

जवाबदेही तंत्र में किशोरियों की भागीदारी और सिस्टम को जवाबदेह बनाए रखने को प्रभावित करने वाले कारक

04

अनुभाग 3 में मुख्य जवाबदेही तंत्र और लड़कियों द्वारा सिस्टम हितधारकों के साथ अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए अपनाए गए मार्ग प्रस्तुत किए गए। यह अनुभाग उन कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने या तो उनकी यात्रा में सहायता की या सिस्टम को जवाबदेह ठहराने में उनके लिए बाधाएं पैदा की। अनुभाग 2 में प्रस्तुत वैचारिक रुपरेखा का अनुसरण करते हुए यह अनुभाग व्यक्ति, परिवार, सीएसओ और सिस्टम के स्तर पर संचालित कारकों का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त मानदंडों का विश्लेषण एक क्रॉस–कटिंग विश्लेषण रुपरेखा के रूप में किया गया है। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि ये स्तर एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक–दूसरे से प्रभावित होते हैं और अलग–अलग काम नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि चूंकि सुविधाएं एवं बाधाएं अक्सर परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए उनका विश्लेषण एक साथ प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण किशोरियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और उनके साथ की गई चर्चाओं पर आधारित है। ये अंतर्दृष्टि पूरे देश में इसकी शासन संरचनाओं सहित स्थिति का आंकलन या प्रतिबिंब नहीं हैं।

४.१ क्रॉस-कटिंग कारक: लिंग मानदंड

लैंगिक मानदंड सभी स्तरों पर काम करते हैं तथा किशोरियों के लिए कमज़ोरियों का जाल बनाने हेतु एक दूसरे से जुड़ते हैं। लड़कियों की भागीदारी को सीमित करने वाले ये मानदंड परिवार और व्यवस्था के स्तर पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखे गए। यह प्रभाव व्यक्तिगत स्तर तक भी फैला हुआ है, जहाँ लड़कियों द्वारा आत्मविश्वास की कमी को एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में बताया गया। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आत्मविश्वास और साहस भी 'स्वीकार्य' लैंगिक भूमिकाओं के इर्द–गिर्द प्रतिगामी मानदंडों से आकार लेते हैं जैसे लड़कियों के लिए आदर्श व्यवहार के रूप में देखभाल करने वाली भूमिकाएँ, किशोरावस्था में पहुँचने पर लड़कियों की बाहरी गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध, परिवार की गतिशीलता, स्कूल में अनुशासनात्मक तरीकों के प्रकार आदि। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि युवा लड़कियों की राय को उनके परिवारों और व्यवस्था दोनों द्वारा कम आंका जाता था। परिवार अक्सर जवाबदेही तंत्र में उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं, यह सवाल करते हुए कि ये लड़कियाँ क्या जानती हैं। इसी तरह, व्यवस्था के हितधारकों ने

फोटो क्रेडिट: Shutterstock

उन्हें खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्हें अपने माता–पिता या भाई को साथ लाने के लिए कहा। इसके अलावा इन दोनों स्तरों पर, एक पितृसत्तात्मक रवैया देखा गया, जहाँ उन लड़कियों को समान स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता था, जिनके पास अपनी आवाज़ और पसंद हो। लड़कियों ने महसूस किया कि परिवार और व्यवस्था को लगता है कि वे जानते हैं कि लड़कियों के लिए क्या बेहतर और उचित है। इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर बेटे को प्राथमिकता देने और लिंग के प्रति रूढ़िवादिता से संबंधित मानदंड लड़कियों की भागीदारी को और भी सीमित करते हैं। लड़कियों ने बताया कि सीमित गतिशीलता और घरेलू ज़िम्मेदारियों में वृद्धि उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराने से रोकने वाली प्रमुख चुनौतियाँ थीं। उनकी आवाज़ और विकल्पों को कमतर आंकना सक्रिय नागरिक के रूप में उनकी भागीदारी और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की उनकी क्षमता में एक बड़ी बाधा है। नीचे दिए गए अनुभाग व्यक्तिगत, पारिवारिक, सीएसओ और सिस्टम के स्तरों पर लड़कियों द्वारा बताए गए निष्कर्षों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

४.२ व्यक्तिगत कारक

यह अनुभाग इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कौन से कारक लड़कियों के व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं और वे जवाबदेही प्लेटफार्मों और प्रक्रियाओं के साथ उनकी भागीदारी को कैसे प्रभावित करते हैं।

४.२.१ आत्मविश्वास और साहस

कार्यशालाओं और बैठकों के दौरान, लड़कियों ने लगातार आत्मविश्वास की भूमिका पर विचार किया कि वे सिस्टम के हितधारकों के समक्ष अपनी समस्याओं को कैसे रख पाएं। उन्होंने साझा किया कि जो लड़कियाँ खुद पर विश्वास करती हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखती हैं, उनमें स्थानीय शासन व्यवस्था तक पहुँचने का साहस अधिक होता है। अक्सर स्थानीय सीएसओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सुदृढ़ीकरण की क्षमता सहायता उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त साहस एक महत्वपूर्ण कारक था, खासकर इसलिए क्योंकि सिस्टम को जवाबदेह ठहराने का मतलब सत्ताधारियों से सवाल करना था। हालाँकि आत्मविश्वास की कमी और अपने स्वयं के कौशल में विश्वास की कमी भी लड़कियों द्वारा साझा की गई एक महत्वपूर्ण बाधा थी। उन्होंने साझा किया कि सूचना और बातचीत कौशल की कमी ने सिस्टम के हितधारकों से सवाल करने के उनके आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

४.२.२ सोशल मीडिया तक पहुंच

जैसा कि अनुभाग 3.2.4 में बताया गया है कि लड़कियाँ अपने मुद्दों के लिए अभियान चलाने और प्रकटता बनाने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। सोशल मीडिया की पहुँच के माध्यम से, वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उच्च अधिकारियों तक पहुँचने में सक्षम हैं। सामूहिकता के साधन के रूप में सोशल मीडिया के संपर्क ने दबाव समूह के रूप में काम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया चैनलों पर उनकी मौजूदगी और पहुँच ने उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाया है। उन्होंने साझा किया कि अक्सर अपनी पहल और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उन्होंने यह सीखा है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सबने ये साझा नहीं किया बल्कि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों की लड़कियों द्वारा उजागर किया गया था।

४.२.३ अराजनैतिक युवा

कुछ लड़कियों ने यह भी महसूस किया कि आज के किशोरियों और युवा खुद नागरिकता और शासन से जुड़े मामलों में ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं। इस वजह से व्यवस्था से जवाबदेही की मांग करने में उनकी भागीदारी का उत्साह प्रभावित होता है। राजनीतिक भागीदारी में कमी के कारण वे अपनी जरूरतों और हितों की वकालत करने के अवसरों से चूक जाते हैं तथा सरकार पर उनके साथ जुड़ने और उनकी आवाज़ को शामिल करने का दबाव कम हो जाता है।

४.३ पारिवारिक कारक

किशोरियों का जीवन उनके परिवारों से बहुत प्रभावित होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को देखते हुए यह अक्सर उनके परिवारों की पसंद से नियंत्रित होता है। इस पृष्ठभूमि के बीच यह समझना आवष्यक है कि लड़कियों के सिस्टम से जुड़ने के तरीकों को आकार देने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में परिवार क्या भूमिका निभाते हैं। कई लड़कियों ने साझा किया कि माता–पिता का दबाव सिस्टम से जुड़ने में उनकी एक बड़ी बाधा है। ये प्रतिबंध और दबाव जवाबदेही की मांग करने में उनके आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

४.३.१ सीमित गतिशीलता

अपने मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने हेतु लड़कियों को अक्सर स्थानीय शासन व्यवस्था या जवाबदेही मंच (जहां भी वे मौजूद हों) पर जाना पड़ता है। लड़कियों ने बताया कि कैसे उनके परिवार अक्सर उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी हर गतिविधि पर लगातार नज़र रखी जाती है, तथा उनसे कहा जाता है कि वे अपने भाइयों या पिता को साथ लेकर जाएं। जैसे–जैसे लड़कियां किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, ये प्रतिबंध और भी सख्त हो जाते हैं। माता–पिता सामाजिक दबाव और उत्पीड़न के डर के कारण और अधिक

चिंतित हो जाते हैं। परिवार की इज़्जत का बोझ भी अक्सर लड़कियों पर डाल दिया जाता है।

> **परिवार और पड़ोसी किशोरावस्था में लड़कियों की गतिशीलता और पुरुष साथियों के साथ बातचीत को प्रतिबंधित करते हैं।**
>
> – गर्ल लीडर, भारत

४.३.२ सार्वजनिक स्थानों पर लिंग आधारित हिंसा का डर

लड़कियों के सामने आने वाली एक इसी तरह की चुनौती यह है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़क, सार्वजनिक बसें, पार्क और अन्य स्थानों पर पहुँचने के दौरान उनके परिवारों को हिंसा का डर रहता है। ये स्थान अक्सर पुरुषों के वर्चस्व वाले होते हैं, जिससे परिवारों को लड़कियों की सुरक्षा के बारे में चिंता होती है। कुछ संदर्भों में, घर के किसी बड़े लोगों के बिना किशोर लड़कियों की उपस्थिति को समुदाय द्वारा नीची नज़र से देखा जाता है तथा माता–पिता से उनकी पालन–पोषण शैली पर सवाल उठाए जाते हैं। चूँकि जवाबदेही प्लेटफॉर्म या प्रक्रियाओं में सार्वजनिक स्थानों पर जाना शामिल है, कभी–कभी अकेले, सुरक्षा चिंताओं, सामाजिक कलंक और लैंगिक मानदंडों के कारण माता–पिता का डर सिस्टम के साथ लड़कियों की भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

> **हमें गांव स्तर की चर्चाओं में भाग लेने हेतु घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।**
>
> – गर्ल लीडर, भारत

४.३.३ संसाधनों तक सीमित पहुंच

लड़कियों को जवाबदेही मंचों या सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आने–जाने का खर्च उठा सकें, या वाहन तक पहुंच हो सके (उन बड़ी किशोरियों के लिए जो ड्राइविंग आयु तक पहुंच चुकी हैं)। उन्होंने साझा किया कि अक्सर लड़कियों को ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, या तो उनके परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण, या जब बचत उपलब्ध होती है, तब भी उसे घरेलू खर्चों या घर में लड़कों की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे संसाधनों की अनुपस्थिति में, लड़कियों को सरकारों की जवाबदेही तय करने वाली गतिविधियों में भाग लेना कठिन हो जाता है।

४.३.४ घरेलू काम का बोझ

यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया कि लड़कियों को घर के काम का असंगत बोझ उठाना पड़ता है। उनसे घर की देखभाल या घरेलू काम में मदद करने की उम्मीद की जाती है, जबकि उनके भाइयों से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इससे उन्हें लगता है कि उनका महत्व नहीं है तथा उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, और उन्हें अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता।

४.३.५ प्रतिभाग करने में हतोत्साहित करना

उपरोक्त सभी कारक एक ऐसी जटिलता पैदा करते हैं जो लड़कियों को सिस्टम से जुड़ने में बाधा डालते हैं, तथा उन्हें भाग लेने के लिए हतोत्साहित करते हैं। इसके अलावा जवाबदेही की मांग करना सरकारी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को जैसे चुनौती देना होता है, जिससे लड़कियों को प्रतिक्रिया के डर से भी हतोत्साहित किया

जाता है। परिवार की बदनामी, सुरक्षा चिंताओं और सामाजिक कलंक का डर भी हो सकता है।

> माता–पिता लड़कियों को आवाज़ उठाने में सहयोग नहीं देते क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें जज करेगा।
>
> – जीएलडी, नेपाल

४.४ सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसओ) कारक

अगले स्तर पर, सीएसओ की उपस्थिति लड़कियों के सिस्टम से जुड़ने के तरीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे स्थानीय स्तर पर लड़कियों के पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक हैं तथा उन पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। यह अनुभाग उन तरीकों पर केंद्रित है जिनसे सीएसओज लड़कियों की भागीदारी को आकार देते हैं।

४.४.१ सामूहिकीकरण

जैसा कि अनुभाग 3 में बताया गया है, सीएसओ द्वारा संचालित पहल किशोरियों और उत्तरदायी धारकों के बीच की खाई को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पहल किशोरियों को कई तरीकों से सक्षम बनाती हैं ताकि वे उत्तरदायित्व की मांग कर सकें। एक प्रमुख तरीका है उन्हें स्थानीय स्तर पर समूहों में संगठित करना। ये संगठन अक्सर क्लब या युवा समूह बनाते हैं, जो लड़कियों को अपनी राय व्यक्त करने, परस्पर सीखने को बढ़ावा देने और सामूहिक कार्रवाई, जिसमें वकालत के प्रयास शामिल हैं, के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। एक समूह के रूप में, ये लड़कियां स्थानीय नीतियों और कारकों को प्रभावित करने की बेहतर स्थिति में होती हैं, क्योंकि वे दबाव समूह के रूप में काम कर सकती हैं तथा एक–दूसरे का समर्थन कर सकती हैं, जिससे उन्हें विरोध का सामना करने का डर कम होता है। सीएसओ किशोरियों को सुरक्षा सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

४.४.२. क्षमता संवर्धनः प्रशिक्षण एवं स्थानीय सरकारी कार्यालयों का भ्रमण

सीएसओ लड़कियों की क्षमता को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि वे जवाबदेही की मांग कर सकें। वे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसे लिंग, नेतृत्व और कौशल पर, जो लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही वे उनके अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जानकारी देते हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के बारे में भी समझाते हैं। क्योंकि प्रत्येक सरकारी नीति और योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। इसलिए सीएसओ द्वारा दी गई जानकारी लड़कियों को इन योजनाओं तक पहुंचने या शिकायत दर्ज करने में मदद करती है। सीएसओ लड़कियों को उपलब्ध जवाबदेही मंचों के बारे में भी जागरूक करते हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियों ने बताया कि कभी–कभी सीएसओ स्थानीय सरकारी कार्यालयों के दौरे आयोजित करते हैं, जो उन्हें इन कार्यालयों के स्थान, वहां तक पहुंचने का तरीका और विभिन्न समस्याओं के लिए संपर्क करने के बारे में समझने हेतु मदद करते हैं। ऐसे दौरे सरकारी कार्यालयों को लड़कियों के लिए अधिक सुलभ बनाते हैं। ये प्रशिक्षण जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां और दौरे लड़कियों एवं स्थानीय जवाबदेही मंचों व सरकारी संरचनाओं के बीच मज़बूत संबंध बनाते हैं, जिससे लड़कियां राज्य के अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करने में सक्षम होती हैं।

४.४.३ पहुंच और स्थिरता का प्रश्न

वैसे तो सीएसओ सिस्टम हितधारकों के साथ लड़कियों की भागीदारी को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह उजागर

करना भी आवश्यक है कि सीएसओ द्वारा संचालित प्रोजेक्टों की प्रकृति के कारण यानी अल्पकालिक और बाहरी फंडिंग पर निर्भर होने के कारण वे लड़कियों के बड़े वर्ग तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं या लंबी अवधि तक अपने प्रयासों को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। इन कारणों से सभी लड़कियां स्थानीय सीएसओ की उपस्थिति का लाभ नहीं उठा पाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट समाप्त हो जाने पर, क्लब जारी नहीं रह पाते और लड़कियों की जानकारी के स्रोत सीमित हो जाते हैं, जिससे उनकी राज्य के अधिकारियों के साथ जुड़ने की क्षमता प्रभावित होती है। सरकार द्वारा लड़कियों के लिए सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली पहल की अनुपस्थिति में, सीएसओ इस अंतर को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पहुंच और स्थिरता का प्रश्न लड़कियों के लिए राज्यों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराने में एक बड़ी बाधा बनता है।

४.५ सिस्टम कारक

सिस्टम यानी सरकार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो हितधारकों के साथ लड़कियों की भागीदारी तथा उनकी सिस्टम को जवाबदेह बनाए रखने की क्षमता को असरदार और आकार देती है। इस स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, स्थानीय शासन, आदि सहित सभी सरकारी सिस्टम शामिल हैं। यह अनुभाग सिस्टम स्तर पर काम करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

४.५.१ जानकारी तक पहुंच

प्लेटफॉर्म और नीतियों के बारे में जानकारी तक पहुँच बनाने में सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका है। लड़कियों ने बताया कि एक प्रमुख माध्यम जिसके द्वारा वे जानकारी तक पहुँच बनाने में सक्षम हैं, वह है स्कूल, मुख्यतः स्कूल के शिक्षक एवं काउंसलर। यह स्कूल क्लब या स्कूल काउंसिल की बैठकों के दौरान भी होता है। इसके अतिरिक्त भारत में लड़कियों को सरकारी नीतियों और प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता पैदा करने में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सूचना मिली। कभी–कभी वे लड़कियों को उपयुक्त योजनाओं में नामांकित करने में भी सहायता करते हैं। हालाँकि यह जानकारी अक्सर अपर्याप्त होती थी क्योंकि इन चौनलों के माध्यम से भी लड़कियों को पूरी या प्रासंगिक जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। जानकारी की यह कमी लड़कियों के लिए सरकारी नीतियों तक पहुँचने या शिकायत दर्ज करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने बताया कि वे अक्सर स्थानीय अधिकारी के पास जाती थीं लेकिन अगर वह उनकी समस्या का समाधान नहीं करता था, तो उन्हें आगे के उपायों के बारे में पता नहीं होता था।

४.५.२ जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले सरकारी मंचों का अभाव

किशोरियों के सामने एक और मुख्य बाधा सरकार द्वारा संचालित मंचों और तंत्रों की कमी है। अधिकांश देशों में, लड़कियों ने राज्य द्वारा प्रोत्साहित किसी भी जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति की सूचना दी। इसके अभाव में लड़कियाँ स्थानीय शासन संरचनाओं और सीएसओ मॉडल का उपयोग कर रही हैं, जिनमें से दोनों में कुछ चुनौतियाँ हैं। इसलिए लड़कियों की आवाज़ और विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए अनुकूल प्लेटफॉर्म की कमी सरकार को जवाबदेह ठहराने में एक बड़ी बाधा है। भले ही ये कुछ देशों में मौजूद हों, लेकिन अधिकांश जगहों पर इनके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि वे सभी लड़कियों तक पहुँच सकें, उन्हें अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकें तथा यह सुनिश्चित कर सकें कि कर्तव्य–धारक इन मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम हैं।

> **हमारे समुदाय में सरकार द्वारा किशोरियों की चिंता को हल करने के प्रयासों की कमी है।**
>
> – गर्ल लीडर, केन्या

४.५.३ सिस्टम हितधारक सहायक एवं असहायक

जब लड़कियां सिस्टम के हितधारकों के समक्ष अपनी समस्याओं को उठाती हैं, तो अक्सर उन्हें उदासीनता का ही सामना करना पड़ता है। जिसमें मुद्दों में हितधारकों की अनुपलब्धता या अनुत्तरदायिता से लेकर लड़कियों के मुद्दों को पूरी तरह से खारिज़ करना शामिल है। कुछ लड़कियों ने बताया कि कभी–कभी कर्तव्यनिर्वाहक उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उपलब्ध भी नहीं होते हैं। जब वे मौजूद होते हैं, तब भी वे उनके मुद्दों का समाधान नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अक्सर किशोर लड़कियों को भगा देते हैं, खासकर जब वे अकेली आती हैं। उन्हें अपने भाइयों या माता–पिता को लाने के लिए कहते हैं या उनकी समझ पर सवाल उठाते हैं। ये हितधारक लड़कियों को एजेंसी के साथ स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं मानते हैं। यहां एक प्रमुख बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार भी है। लड़कियों ने साझा किया कि उनके लाभ के लिए विकसित किसी भी मान्य योजना का उपयोग करने के दौरान भी, कभी–कभी स्थानीय अधिकारी उन्हें पंजीकृत करने या उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए रिश्वत मांगते हैं। सिस्टम के हितधारकों का यह व्यवहार लड़कियों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बनाता है, जिससे उनके लिए अपनी राय और चुनौतियों को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है।

> **जब हम अपनी समस्याएं बताते हैं, तब भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते या गंभीरता से नहीं लेते और ज़्यादातर समय वे हमें परिवार के पुरुष सदस्यों को साथ लाने के लिए कहते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं और लड़कियों को अभिकर्ता नागरिक नहीं माना जाता है।**
>
> – गर्ल लीडर, भारत

हालांकि, सिस्टम हितधारकों के साथ जुड़ने के कुछ सकारात्मक अनुभवों को उजागर करना आवश्यक है, जिन्हें लड़कियों ने साझा किया। ये अनुभव मुख्यतः स्कूलों के स्तर पर थे, जहाँ उन्होंने पाया कि स्कूल के शिक्षक उनकी समस्याओं को हल करने तथा आवश्यकतानुसार इसे स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या स्थानीय सरकारी अधिकारी तक पहुँचाने में सहयोग कर रहे थे। ऐसी घटनाएँ लड़कियों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए आशा, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। ये घटनाएँ मुख्य रूप से केन्या, तंज़ानिया और कंबोडिया की लड़कियों द्वारा रिपोर्ट की गई। इससे यह भी पता चलता है कि किशोर लड़कियों के लिए स्कूल का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक सहायक एवं उत्साहजनक स्कूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि लड़कियों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और वे अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में आत्मविश्वासी हैं, जिससे वे न केवल स्कूल के भीतर बल्कि उसके बाहर भी जवाबदेही की माँग करने में सक्षम हो सकें। बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों से समर्थन प्राप्त होने की भी रिपोर्टें थी। हालाँकि देश के अन्य हिस्सों से इसको व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया।

> **“स्कूल में शौचालयों की खराब स्थिति के मामले में हम प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं जो स्कूल बोर्ड को सूचित करते हैं, तथा सामुदायिक अधिकारी भी इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं, और उनके हस्तक्षेप से हमारी समस्या हल हो जाती है।**
>
> – गर्ल लीडर, तंज़ानिया”

४.५.४ सरकार में महिला प्रतिनिधियों की कमी

लड़कियों द्वारा साझा की जाने वाली एक और बड़ी बाधा सरकारी स्थानों में पुरुष प्रधान स्वभाव है। उन्होंने बताया कि सत्ता के पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व उन्हें दो खास तरीकों से प्रभावित करता है। सबसे पहले वे अपनी समस्याओं के साथ एक महिला अधिकारी से संपर्क करने में अधिक सहज महसूस करेंगी, तथा इस तरह के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति अक्सर उन्हें अपनी समस्याओं को बताने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने से रोकती है। दूसरे, अधिक महिला प्रतिनिधियों का होना एक रोल मॉडल के रूप में काम करेगा, जिससे सिस्टम संरचनाएं अन्य लड़कियों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी।

बॉक्स ४: तीन सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं

हालांकि लड़कियों ने अपनी समस्याओं के कई पहलुओं को साझा किया, उन्होंने तीन सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं को भी रेखांकित किया, जो सिस्टम को ज़िम्मेदार ठहराने में उनकी भागीदारी पर सबसे गहरा प्रभाव डालती हैं। ये बाधाएं निम्नलिखित हैं:

1. समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों की अनुपलब्धता।
2. सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का डर, जिसमें सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने या जवाबदेही तंत्र तक पहुंचने का डर शामिल है।
3. किशोर लड़कियों में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने में भय और आत्मविश्वास की कमी।

किशोरियों के सुझाव और मांगें: सरकारी नेतृत्व वाली जवाबदेही को मज़बूत करना

05

जबकि लड़कियों ने उन कारकों को साझा किया जो सिस्टम हितधारकों के साथ उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित या बाधित करते हैं, उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करने की मांग भी रखी। उन्होंने एक ऐसे तंत्र की रूपरेखा भी साझा की, जिसे वे अपनी मांगों को उठाने तथा सिस्टम को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जवाबदेह बनाने में उपयोगी समझती हैं। यह अनुभाग लड़कियों द्वारा सिस्टम हितधारकों और प्लेटफार्मों के लिए साझा की गई सिफारिशों पर केंद्रित है।

५.१ सिस्टम से अपेक्षाएं

यह अनुभाग उन सभी अपेक्षाओं को उजागर करने पर केंद्रित है जो लड़कियों ने सिस्टम के हितधारकों से रखी हैं। उन्होंने एक सहयोगी वातावरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिसमें वे अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने निम्नलिखित मांगें साझा कीं–

५.१.१ प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाएँ विकसित करना

- लड़कियों के लिए अपनी आवश्यकताओं और चुनौतियों को उठाने हेतु सुरक्षित, आसान और सुलभ सरकारी मंच तैयार करना
- नीति निर्माण में लड़कियों की भागीदारी के लिए प्रक्रियाएं विकसित करना, ताकि वे विचार–विमर्श के चरण से ही इसका हिस्सा बन सकें
- स्थानीय स्तर पर बालिका एवं युवा समूह बनाना
- लड़कियों के लिए गुमनाम फीडबैक तंत्र विकसित करना, ताकि वे बिना किसी प्रतिक्रिया के डर से अपनी शिकायतें साझा कर सकें

५.१.२ चर्चा और सहभागिता को बढ़ावा देना

- स्थानीय गांव स्तर पर एक लड़की को समन्वयक के रूप में नामित करना
- जिला स्तर पर लड़कियों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के बीच मासिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए
- सरकार को माता–पिता और लड़कियों दोनों के साथ मासिक बैठकें भी आयोजित करनी चाहिए, ताकि माता–पिता भी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत हो सकें
- महिला सरकारी कर्मचारियों को लड़कियों के साथ मासिक आधार पर बातचीत करनी चाहिए ताकि उनकी चुनौतियों को समझाा जा सके

५.१.३ सहायक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना

- सरकार को स्थानीय स्तर पर सिस्टम की जवाबदेही बढ़ाने हेतु काम करने वाले सीएसओ तथा वकालती समूहों का समर्थन करना चाहिए
- योजनाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए एसएमएस, मासिक बैठकों तथा माता–पिता व बालिकाओं के लिए षिविरों का आयोजन करना

बॉक्स ५: तीन सबसे महत्वपूर्ण मांगें

हालांकि लड़कियों ने सिस्टम के हितधारकों से कई मांगें और अपेक्षाएँ साझा की, लेकिन उन्होंने अपनी प्रमुख तीन सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक मांगों को प्राथमिकता दी। ये इस प्रकार हैं:

1. लड़कियों के लिए समस्याएं उठाने के लिए सुरक्षित, आसान, और सुलभ मंचों का निर्माण करना
2. माता–पिता और लड़कियों के बीच नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना
3. लड़कियों को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए

- सरकारी अधिकारियों को अपनी जवाबदेही और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करना चाहिए
- शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेज़ी लाना
- योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा देना ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लागाया जा सके

५.२ लड़कियों द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म

लड़कियों द्वारा उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग उनके लिए अपनी समस्याओं को व्यक्त करने हेतु सुरक्षित प्लेटफॉर्म का निर्माण करना था। इसे जानने के लिए, उनके साथ एक सामूहिक गतिविधि आयोजित की गई ताकि यह समझा जा सके कि वे इन प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखना चाहती हैं। लड़कियों को विषयगत समूहों में विभाजित किया गया– एक समूह ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, दूसरे ने शिक्षा से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और अंतिम समूह ने नागरिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखा। फिर प्रत्येक समूह ने अपने प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन को अन्य प्रतिभागियों के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर फीडबैक प्रदान किया गया, तथा अंतिम डिज़ाइन में शामिल किया गया। गतिविधि का उदेश्य लड़कियों द्वारा माना जाने वाला एक मॉडल प्रस्तुत करना था जो उनके लिए उपयोगी होगा। जिसका संदर्भ विभिन्न देशों में अलग–अलग होगा, यह देखते हुए कि प्रत्येक देश में शासन संरचना थोड़ी अलग दिखाई देगी। तीन विषयगत प्लेटफॉर्म संलग्नक के रूप में दिए गए हैं जबकि तीनों मॉडल में सामान्य प्रमुख विशेषताओं के आधार पर एक समग्र मॉडल नीचे प्रस्तुत किया गया है।

फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

समग्र मॉडल लड़कियों द्वारा बनाए गए तीन विषयगत मॉडलों से उभरने वाले सामान्य विषयों को मिलाकर विकसित किया गया है। यह एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि लड़कियों द्वारा उनके लिए उपयोगी एक परिकल्पित मॉडल है। हालांकि इसे मज़बूत करने के लिए यह उजागर करना आवश्यक है कि इस तरह के स्थानीय मंच को सिस्टम में मान्यता और अंतर्निहित करने तथा इसके द्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता है, ताकि इसका प्रभाव कायम रहे। यह वैधता बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों को उनकी क्षमता को मज़बूत करने और ऐसे प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए वित्तीय और गैर–वित्तीय रूप से भी समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि कोई मुद्दा ब्लॉक या जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से पहचाने गए पॉइंट–पर्सन को इसे समय पर हल करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अंत में, मॉडल में उच्च स्तर पर अंतर्निहित आवधिक समीक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए, ताकि इसके प्रदर्शन की निगरानी और ट्रैकिंग की जा सके।

मॉडल जवाबदेही प्लेटफॉर्म: प्रमुख सामान्य विशेषताएं

उपस्थिति का स्तर	शामिल हितधारक	हितधारकों की भूमिका	बैठकों का अंतराल	समस्या निवारण तंत्र
गांव स्तर पर स्कूल और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंध	12 सदस्य **मुख्य हितधारक** • दो किशोर लड़कियाँ जो अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक समूहों की प्रतिनिधि हैं • दो सामुदायिक लीडर • दो ग्राम परिषद लीडर/अधिकारी • दो माता–पिता या अभिभावक • दो महिला शिक्षक • दो सामुदायिक स्वास्थ्य–कार्यकर्ता **आवश्यकता–आधारित हितधारक** • स्कूल प्रधानाचार्य • ब्लॉक स्तरीय अधिकारी	• **किशोरी प्रतिनिधि:** प्रत्येक माह के अंत में मासिक रुप से गांव स्तर पर अन्य लड़कियों से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा करना व उन्हें इस समूह के संज्ञान में लाना। • **सामुदायिक लीडर्स:** मासिक बैठकों में किशोरियों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना। समुदाय के सदस्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करना। सामुदायिक स्वास्थ्य पहल, समावेशी बुनियादी ढांचा जैसे कि अलग एवं सुचारु शौचालय जैसे मुद्दों पर लड़कियों की वकालत करना। • **ग्राम परिषद लीडर्स:** बालिकाओं के मुद्दों पर वकालत करने के लिए ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करना तथा समिति के निष्कर्षों और योजनाओं को प्रस्तुत कर उनसे समर्थन प्राप्त करना। • **माता–पिता/अभिभावक:** किशोरियों के साथ अधिक खुलकर रहना तथा घर पर विभिन्न विषयों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना। • **शिक्षक:** शिक्षकों को लड़कियों के लिए उनकी समस्याएं व्यक्त करने हेतु एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तथा इस समिति में लड़कियों द्वारा उनके साथ साझा किए गए मुद्दों के बारे में भी रिपोर्ट करना। उन्हें अपने स्कूल में समावेशी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की वकालत करना चाहिए और स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ परामर्शदाताओं की नियुक्ति जैसी प्रासंगिक समस्याओं को उठाना। • **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता:** स्वास्थ्य विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित करके सरकारी योजनाओं के अनुसार सैनिटरी पैड जैसे संसाधन उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उठाना। • समिति को मुद्दों, सरकारी नीतियों और योजनाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए शिविर आयोजित करना तथा सैनिटरी नैपकिन जैसे संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए।	**मुख्य बैठकें:** रणनीति समायोजित करने, प्रगति की निगरानी करने तथा सुधार के विचारों पर चर्चा करने हेतु सभी समिति सदस्यों की मासिक बैठक। **किशोरी बैठक:** दो बालिका प्रतिनिधि सभी बालिकाओं के साथ गांव स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित करें और फिर मुख्य बैठक में अपनी समस्याओं को उठाएं।	यदि आवश्यक हो तो अनसुलझे मुद्दों को ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर और अंत में राज्य स्तर के विभागों/मंत्रालयों के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

सीख एवं सुझाव

06

यह अनुभाग प्रोजेक्ट के दौरान उत्पन्न अंतर्दृष्टि के आधार पर प्रमुख सीखों और सुझावों को प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। कुछ सीख और सुझाव विशेष रूप से नीति निर्माताओं एवं समुदाय और परिवार को संबोधित हैं। हालाँकि विशिष्ट सुझावों से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एक बड़ी सीख यह रही है कि किशोरियों के प्रति सिस्टम की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक मानदंडों को संबोधित करना ज़रुरी है। लैंगिक मानदंड कई स्तरों पर बनाए और सुदृढ़ किए जाते हैं। प्रतिबंधात्मक लैंगिक मानदंडों का प्रभाव – जैसे कि गतिशीलता, घरेलू काम और संसाधनों तक पहुँच से संबंधित मानदंड – जवाबदेही तंत्र में लड़कियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करते हैं। ये मानदंड ऐसे प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुँच को सीमित करते हैं तथा कर्तव्य–धारकों के साथ जुड़ने में उनके आत्मविश्वास को कम करते हैं। यहाँ तक कि जब लड़कियाँ प्रासंगिक सिस्टम हितधारकों के साथ अपनी समस्याओं को उठाने का साहस जुटाती हैं, तो उन्हें अक्सर खारिज कर दिया जाता है या पर्याप्त प्रतिक्रियाएँ नहीं दी जाती हैं। ऐसा व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि लड़कियों की आवाज़ को पहचाना नहीं जाता और उसका कम मूल्यांकन किया जाता है। यथास्थिति को चुनौती देना, लैंगिक भूमिका अपेक्षाओं पर सवाल उठाना और सिस्टम हितधारकों के साथ लड़कियों की सार्थक भागीदारी को सक्षम करने के लिए इन मानदंडों को व्यापक रूप से संबोधित करना अति आवश्यक है।

६.१ नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव:

१. सिस्टम द्वारा संचालित जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता:

ऐसे बहुत कम जवाबदेही मंच हैं जो सिस्टम द्वारा हितधारकों के साथ लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नेपाल में बाल–क्लबों का सिस्टम–आधारित तंत्र प्रभावी रूप से काम कर रहा है। अन्य मॉडलों के कार्यान्वयन और पहुंच को मज़बूत करने की आवश्यकता है। जानकारी का अभाव भी मौजूद है क्योंकि सभी लड़कियों को ऐसे तंत्रों के बारे में पता नहीं था, जो अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को दर्शाता है। सिस्टम द्वारा संचालित तंत्रों की अनुपस्थिति में ये लड़कियां अपनी समस्याओं एवं आवाज़ को उठाने के लिए कई प्लेटफार्मों का उपयोग करती हैं। इनमें सामूहिकता और क्षमता को मज़बूत करने पर केंद्रित सीएसओ के नेतृत्व वाले मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा, लड़कियां अपनी चुनौतियों को साझा करने के लिए ग्राम स्तर की बैठकों जैसी स्थानीय शासन इकाइयों का लाभ उठाती हैं। व्यवस्था के लिए यह पहचानना ज़रुरी है कि किशोरियों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेही की ज़िम्मेदारी किशोरियों पर नहीं बल्कि उन पर है। वरिष्ठ नेतृत्व की प्रतिबद्धता और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण बदलाव लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

२. सार्वजनिक वित्तपोषित और वितरित स्कूली शिक्षा में निवेश:

जैसा कि किशोर लड़कियों ने बताया कि उनके लिए जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत स्कूल के शिक्षक और काउंसलर हैं। उनके पास स्कूलों के स्तर पर बाल क्लब भी हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी समस्याओं को उठा सकती हैं और उनके समाधान की निगरानी कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार शिक्षा प्रणाली में आवश्यक रूप से निवेश करना जारी रखे तथा स्कूलों में लैंगिक समानता वाला माहौल प्रदान करे, जो किशोर लड़कियों के विकास को बढ़ावा दे, उन्हें सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करे और अपनी पूरी क्षमता और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाए।

३. जवाबदेही तंत्र को एकीकृत करने की नीतियाँ:

जबकि लड़कियों ने शैक्षणिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सिस्टम के प्रयासों को स्वीकार किया, उन तक पहुँचना चुनौतियों से भरा है। सरकार को नीति निर्माण के भीतर ही जवाबदेही तंत्र और प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए तथा इसके लिए धनराशि निर्धारित करना चाहिए। सामान्य जवाबदेही मंचों और नीति–विशिष्ट मंचों की अनुपस्थिति में लड़कियों की आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है।

४. सीएसओ समर्थन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए:

स्थानीय सीएसओ लड़कियों और सिस्टम हितधारकों के बीच की खाई को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई मायनों में वे प्रतिक्रिया की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं; जैसे लड़कियों को समूहों में एकत्रित करके उनका नेटवर्क बनाना, खुद के लिए एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए वकालत करने की उनकी क्षमताओं को मज़बूत करना तथा उन्हें कर्तव्य–धारकों से जोड़ना। जैसा कि लड़कियों ने उजागर किया है, सीएसओ और उनके वकालती प्रयासों को वित्तपोषित, समर्थित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लड़कियों के अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों को दीर्घकालिक और लचीला वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक अपना काम जारी रख सकें। इसके अतिरिक्त सीएसओ को जवाबदेही की मांग करने के लिए निर्णय लेने वाले प्लेटफार्मों में लड़कियों के नेतृत्व और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरक बनाना चाहिए न कि प्रतिस्थापित करना चाहिए। सीएसओ के साथ निरंतर जुड़ाव हेतु मौजूदा सरकारी संरचनाओं या प्लेटफार्मों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं सहित भागीदार संगठनों के सहयोग से वैकल्पिक संरचनाओं का निर्माण करना होना चाहिए। हालांकि टिकाऊ होने के लिए सरकारी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीएसओ द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाओं को उनके अपने सिस्टम में अपनाया और एकीकृत किया जाए।

५. सिस्टम हितधारकों की क्षमता और संवेदनशीलता को मज़बूत करना अतिआवश्यक:

सरकारी अधिकारियों का रवैया और व्यवहार लड़कियों को सिस्टम से जुड़ने में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। अक्सर किशोर लड़कियों के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील होने के बजाय पितृसत्तात्मक और संरक्षणवादी होता है। यह लड़कियों की उनके साथ बातचीत करने की क्षमता में बाधा के रूप में कार्य करता है। इसलिए, किशोर लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में उनकी समझ को मज़बूत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लैंगिक न्याय के लेंस के माध्यम से, जिसमें लैंगिक दृष्टिकोण और व्यवहार की समझ विकसित करना और सम्मान, समानता और सहयोग के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता शामिल है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें आवश्यक जानकारी और कौशल से लैस करना भी ज़रुरी है।

६. स्कूलों, प्रशासन और सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा:

लड़कियों ने बताया कि महिला अधिकारियों और शिक्षकों की कमी ने उनके विचारों को व्यक्त करने में उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया, क्योंकि वे सहज महसूस नहीं करती थीं। लड़कियों द्वारा साझा की गई मांगों में से एक यह भी शामिल थी कि उनकी चुनौतियों को समझने के लिए हर महीने एक महिला सरकारी कर्मचारी से संपर्क किया जाए। यह दर्शाता है कि लड़कियाँ महिला अधिकारियों के साथ अपनी चुनौतियों पर चर्चा करना पसंद करेंगी। इसके अतिरिक्त बीमन एट अल. (2009) ने दिखाया कि स्थानीय ग्राम परिषद चुनावों में महिलाओं के लिए दो चुनाव चक्रों के लिए आरक्षित गांवों में किशोरियों की करियर आकांक्षाओं में लिंग अंतर 32% कम हो गया। आरक्षित महिला मुखिया वाले गांवों में किशोरियों की शिक्षा प्राप्ति में लिंग अंतर पूरी तरह से मिट गया, जबकि लड़कियाँ घरेलू कामों में कम समय बिताती हैं। महिला अधिकारियों का होना एक रोल मॉडल प्रभाव के रूप में भी काम कर सकता है, जो किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं को बिना किसी डर या धमकी के सत्ता के पदों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति बालिका–केंद्रित जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे महिला अधिकारियों के साथ अधिक सहज महसूस करेंगी, और यह इसलिए भी ज़रुरी है क्योंकि निर्वाचित भूमिकाओं में महिलाओं ने किशोरियों की शिक्षा, करियर आदि पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।

७. जवाबदेही तंत्र का बालिका आकांक्षात्मक मॉडल:

लड़कियों द्वारा विकसित मॉडल प्लेटफॉर्म कई मायनों में सिस्टम से उनकी अपनी आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनके समुदाय के लिए गाँव स्तर पर स्थानीयकृत है। इसमें कई हितधारक शामिल हैं, जिसमें उनके पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रमुख सदस्यों जैसे माता–पिता, समुदाय के नेता, स्कूल शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य का प्रतिनिधित्व है। लड़कियाँ चाहती हैं कि समूह मासिक रूप से आयोजित हो, ताकि वे अपनी समस्याओं को उठा सकें और नियमित रूप से इसकी प्रगति की निगरानी कर सकें। वे यह भी चाहती हैं कि प्लेटफॉर्म सभी लड़कियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बैठक से पहले लड़कियाँ मिलें और बालिका प्रतिनिधि इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करें। वे स्पष्ट हैं कि यदि मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, तो उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि प्रत्येक हितधारक की एक परिभाषित भूमिका होनी चाहिए तथा उसे इस समूह के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शायद सिस्टम इसे अपने संदर्भों के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने हेतु एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में देख सकता है।

६.२ समुदाय एवं अभिभावकों के लिए सुझाव:

१. माता–पिता और समुदाय के लीडर्स के साथ जुड़ने की आवश्यकता:

किशोरियों को अपने माता–पिता और समुदाय के लीडर्स से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक और प्रतिबंधात्मक लिंग मानदंडों में निहित वे लड़कियों की आवाजाही और घर के बाहर की गतिविधियों में भागीदारी को सीमित करते हैं, जिसमें सिस्टम से जुड़ना भी शामिल है। माता–पिता, परिवार और समुदाय लड़कियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रमुख द्वारपालों में से एक के रूप में कार्य करते हैं। लड़कियों ने खुद सिफारिश की है कि लैंगिक समानता पर जागरूकता पैदा करने तथा माता–पिता की क्षमता का निर्माण करने के प्रयास किए जाने चाहिए। माता–पिता के साथ जुड़ना और लिंग एवं अधिकार–आधारित दृष्टिकोणों पर उनके दृष्टिकोण का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि उनके समर्थन की अनुपस्थिति किशोर लड़कियों की सिस्टम से जवाबदेही की मांग करने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर देती है।

२. लड़कों को शामिल करने का महत्व:

लड़कियों ने बताया कि लड़कों द्वारा उन्हें धमकाया जाना और परेशान किया जाना एक बड़ी चुनौती है, जिसका सामना वे स्कूलों में तथा कुछ मामलों में अपने समुदायों के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर करती हैं। लड़कों के साथ जुड़ना जरूरी है ताकि वे लिंग, शक्ति और पितृसत्ता के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकें और लड़कियों के नेतृत्व वाली जवाबदेही पर उनके दृष्टिकोण को मज़बूत कर सकें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लड़कियों को स्कूलों या समुदायों में लड़कों से कोई विरोध न झेलना पड़े। इसके अलावा लड़कों के साथ जुड़ने से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में लड़कों और लड़कियों के बीच साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने की ज़रुरत है, इसे एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में स्थापित करना है जिसे सिस्टम को संबोधित करना चाहिए व जवाबदेह होना चाहिए।

इस प्रोजेक्ट ने किशोरियों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों और सिस्टम को उसकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के उनके प्रयासों को उजागर किया है। इसने ऐसी सिफारिशें भी प्रस्तुत की हैं जो किशोरियों की जरूरतों के प्रति सिस्टम की जवाबदेही को और मज़बूत कर सकती है। हालाँकि यह पहचानना भी जरुरी है कि जाति, नस्ल, विकलांगता और आर्थिक स्थिति जैसी अन्य परस्पर जुड़ी बातें जवाबदेही तंत्र में किशोरियों की भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त यह पता लगाना भी आवश्यक है कि किशोर लड़के व्यवस्था के हितधारकों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं तथा उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर सिस्टम से जवाबदेही की मांग करने के लिए एक सक्रिय नागरिक वर्ग जरुरी है। इसलिए किशोरों एवं किशोरियों तथा युवाओं के नागरिक जुड़ाव प्रक्रियाओं से अलग होने के पीछे के कारणों पर भी गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

अंत में, जबकि प्रोजेक्ट का उद्देश्य किशोरियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है, निर्णय लेने और जवाबदेही प्रक्रियाओं में किशोरियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने की कोशिश में सिस्टम हितधारकों के अनुभवों को समझना महत्वपूर्ण है। इससे किशोरियों के साथ सिस्टम की सहभागिता को मज़बूत करने के लिए साक्ष्य–समर्थित व्यापक मार्गदर्शिका विकसित करने में मदद मिलेगी। चूंकि किशोरियों की जरूरतों को पूरा करना सिस्टम की ज़िम्मेदारी है तथा जवाबदेही तंत्र बनाने का दायित्व भी उन्हीं पर है, इसलिए सिस्टम को हितधारकों की बात सुनने से सार्थक जुड़ाव के सिद्धांतों पर आधारित एक मॉडल पर पहुंचने में मदद मिलेगी जिसे व्यावहारिक रूप से बड़े पैमाने पर संचालित किया जा सकता है।

संदर्भ

1. एक्षनएड टीम बांग्लादेश, इथियोपिया, इंडोनेशिया और यू.के. में (2022)। मिलकर षक्ति निर्माण: बालिका–संचालित एक शोध प्रोजेक्ट। https://www.actionaid.org.uk/publications/building-power-together-girl-led-research-project
2. अग्रवाल, एस, फ्रांसिस, के, दश्ती, जी; एंड पैटन, जी. (2022)। बाल विवाह और किशोरियों का मानसिक स्वास्थ्य: उत्तर प्रदेश और बिहार, भारत से एक अनुदैर्ध्य कोहोर्ट अध्ययन। द लैंसेट रीजनल हेल्थ – दक्षिण पूर्व एशिया, अंक 8, 100102. https://doi: 10.1016/j.lansea.2022.100102
3. एजीआईपी एंड एएमआरईएफ अफ्रीका. (2023). अब और बहाने नहीं – लड़कियों एवं युवतियों के लिए जवाबदेही तंत्र। वूमेन डेलिवर 2023 सम्मेलन में। https://adolescent-girls-plan.org/wp-content/uploads/2023/08/WD2023-Accountability-Report.pdf
4. आर्चर्ड, एन. (2012)। किशोर लड़कियाँ और नेतृत्व: आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा और विफलता का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडोलसेंस एंड यूथ, 17 (4), 189–203। https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649431
5. बाल संसद: कार्य एवं दायित्व (बाल संसद: कार्य एवं जिम्मेदारियां) 4/10/2024. एजुकेशनझार, देखें https://www.educationjhar.com/bal-sansad-functions-and-responsibilities/
6. बीमन, एल., चट्टोपाध्याय, आर., डुफ्लो, ई., पांडे, आर., एंड टोपालोवा , पी. (2009)। शक्तिशाली महिलाएँ: क्या एक्सपोजर पूर्वाग्रह को कम करता है? द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 124(4), 1497–1540. http://www.jstor.org/stable/40506265
7. ब्रॉनफेनब्रेनर, यू. (1979)। मानव विकास की पारिस्थितिकी: प्रकृति द्वारा प्रयोग एवं डिजाइन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. जीईएएस. (2021)। ग्लोबल यूथ एडवाइजरी बोर्ड क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट। https://www.geastudy.org/all-reports/global-youth-advisory-board-qualitative-research-report
9. किशोरों को सशक्त बनाने के लिए टूलकिट: किशोर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने व उसकी सुरक्षा तथा आत्म–हानि व अन्य जोखिमपूर्ण व्यवहारों को कम करने के लिए रणनीतियां। जिनेवा: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाईटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड (यूनिसेफ), 2021.
10. जैन, ई, वाजपेयी, ए और संघानी पी. (2023)। सौंदर्य आदर्श और उससे आगे: किशोरों के आत्मसम्मान और हस्तक्षेप पर नकारात्मक शारीरिक छवि के प्रभाव को समझना। कोरियन रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। 16(51), 44–69.
11. केजरीवाल, मेधव. (2023, 29 अगस्त) अब, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बालिका पंचायत शराब और बाल विवाह से लड़ती हुई। द हिंदू https://www.thehindu.com/news/national/other-states/now-balika-panchayat-in-maharashtras-nanded-district-fights-alcoholism-and-child-marriage/article68407682.ece
12. के.सी., सरोज एंड बी.के., बाले. (2024)। अनलॉकिंग वॉइसेज, बिल्डिंग फ्यूचर्स: बाल कचहरी, युवा लोगों द्वारा संचालित सामाजिक जवाबदेही। सेव द चिल्ड्रन https://nepal-savethechildren-net/news/unlocking&voices&building&futures&baal&kachahari&social&accountability&led&young&people
13. खुराना, एन. वी., वाधवा, ए., कन्यीरी, ए. पी., मैराह, एफ., एंड अच्युत, पी. 2023। एडवोकेसी से एक्शन तक: भारत, केन्या और युगांडा में बालिका एवं युवा नेतृत्व सिस्टम की जवाबदेही पर सबक। नई दिल्ली: इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन।
14. कुमारी, आर., भारती, आर.के. सिंह, के; सिन्हा, ए; कुमार, एस; सरन, ए; एंड कुमार, यू. (2017) एक टर्शियरी केयर अस्पताल में किशोरियों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की व्यापकता। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च. अगस्त 1;11(8): बीसी 04–बीसी06. https://doi: 10.7860/JCDR/2017/26163.10325

15. मित्रा, एस., मिश्रा, एस.के. एंड अभय, आर.के. (2023)। भारत में स्कूल न जाने वाली लड़कियाँः सामाजिक–आर्थिक–स्थानिक असमानताओं का एक अध्ययन। जियोजर्नल 88, 341–357 https://doi.org/10.1007/s10708-022-10579-7
16. प्लान इंटरनेशनल. (2022). हमें मालूम है हमें क्या चाहिएः कैमरून के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में किशोरों के साथ कार्यक्रम डिजाइन परामर्श. https://plan-international.org/uploads/2023/04/GLO-Cameroon-Adolescent-Consultation-Report-highres-IO-Final-EN-Jan23.pdf
17. राणा, तान्या (अक्टूबर 2023)। माहवारी स्वास्थ्य को कल्याणकारी प्राथमिकता बनानाः तीन राज्यों से मिली अंतर्दृष्टियां। भारत के लिए विचार। यहाँ देखें – https://www.ideasforindia.in/topics/environment/making-menstrual-health-a-welfare-priority-insights-from-three-states.html
18. रेस्टलेस डेवलपमेंट एंड ओस्लो सेंटर. (2023)। एक सामाजिक जवाबदेही उपकरणः शासन में सशक्त युवा पीढ़ी।
19. रोमो, एल.एफ., मिरेल्स–रियोस, आर., एंड हर्टाडो, ए. (2016)। मैक्सिकन अमेरिकी किशोर लड़कियों की शारीरिक सुंदरता की धारणा पर सांस्कृतिक, मीडिया और साथियों का प्रभाव। जर्नल ऑफ एडोलसेंट रिसर्च, 31(4), 474–501. https://doi.org/10.1177/0743558415594424
20. रटगर्स. (2018)। इथियोपिया में जीयूएसओ एलायंस में सामुदायिक स्कोरकार्ड का आरंभिक परीक्षणः उठो और युवाओं के अधिकारों के लिए बोलो। https://www.rutgers.international/
21. शाह टी, प्रजापति बी, एंड शाह वी, (2022)। गुजरात के एक जिले में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का परिस्थितिजन्य विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन (47), 543–8। डीओआई 10.4103/ijcm.ijcm_18_22
22. यूनिसेफ. (एन.डी.ए). बाल विवाह. यूनिसेफ. 2 दिसंबर, 2024 https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/ से प्राप्त किया गया
23. यूनिसेफ. (एन.डी.बी). लड़कियों की शिक्षा. यूनिसेफ. 2 दिसंबर, 2024 को https://www.unicef.org/education/girls-education से लिया गया
24. यूनिसेफ. (2023)। तथ्य पत्रः माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन अभी भी कई लोगों की पहुंच से बाहर है। यूनिसेफ. 2 दिसंबर, 2024 को https://www.unicef.org/press-releases/fact-sheet-menstrual-health-and-hygiene-management-still-out-reach-many से प्राप्त किया गया।
25. यूनिसेफ, (2014)। साफ दृष्टि में छिपाः बच्चों के खिलाफ हिंसा का सांख्यिकीय विश्लेषण, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। https://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight-a-statistical-analysis-of-violence-against-children/
26. यूएन वूमेन (2024)। माहवारी की कमजोरी – क्यों लाखों लड़कियाँ और महिलाएँ अपने माहवारी का खर्च नहीं उठा पाती हैं।
27. यूएन वूमेन एंड वूमेन काउंट. (2021)। महामारी के साये की मापः कोविड–19 महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा। https://data.unwomen.org/publications/vaw-rg
28. दक्षिण एशिया में लड़कियों के लिए क्या कारगर हैः एक स्थिति विश्लेषण। (2024). यूनिसेफ, काठमांडू https://www.unicef.org/rosa/media/28121/file/What%20Works%20for%20Girls%20in%20South%20Asia.pdf
29. वर्ल्ड बैंक. 1992. शासन एवं विकास। http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development
30. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल हेल्थ इस्टिमेट्स (जीएचई) सारांश सारणीः मृत्यु की वजह, उम्र, लिंग और क्षेत्र (2012), डब्ल्यूएचओ, जिनेवा (2014), यूनिसेफ द्वारा पुनर्गणना। https://data.unicef.org/resources/levels-trends-child-mortality-report-2014/

संलग्नक १: स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श जवाबदेही मंच

उपस्थिति का स्तर	शामिल हितधारक	हितधारकों की भूमिका	बैठकों का अंतराल	समस्या निवारण तंत्र
ग्राम स्वास्थ्य केंद्र/ग्राम स्तर पर स्कूल और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंध	11-12 सदस्यीय मंच • 2 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता • 2 सामुदायिक लीडर • 2 किशोर लड़कियां विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए • 2 महिला शिक्षक एवं स्कूल काउंसेलर • 3 माता पिता या अभिभावक	• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताः स्वास्थ्य विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करना तथा सैनिटरी पैड, कंडोम और गर्भनिरोधक जैसे संसाधन उपलब्ध कराना। • सामुदायिक लीडर्सः स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करना, मासिक बैठक के लिए किशोरियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना। सभी स्तरों पर सामुदायिक स्वास्थ्य पहलों की वकालत करना। • एजी प्रतिनिधिः प्रत्येक माह के अंत में मासिक रुप से समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ग्राम स्तर पर अन्य ए.जी. से मिलना चाहिए तथा उसे इस समूह के संज्ञान में लाना चाहिए। • शिक्षकः शिक्षकों द्वारा किशोरों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सिखाना। स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। • माता–पिता/अभिभावकः किशोरियों के साथ अधिक खुलकर रहना तथा घर पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना। • इस समिति द्वारा एडवोकेसी और एसआरएचआर शिविर। • यौन संचारित रोगों और संक्रमणों की जाँच • किशोर गर्भावस्था को कलंकमुक्त करना • सैनिटरी टॉवल के निपटान हेतु कंटेनर उपलब्ध कराना तथा मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना	रणनीति को समायोजित करने, प्रगति की निगरानी करने और सुधार के लिए विचार देने हेतु मासिक बैठक	• यदि समाधान न हो तो इसे ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर तक ले जाया जा सकता है • ब्लॉक स्तर पर एजी की 20 सदस्यीय समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 एजी होंगे, यह समिति ब्लॉक स्तर पर समस्याओं को उठाने तथा उन पर चर्चा करने में संलग्न हो सकती है।

संलग्नक २: शिक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श जवाबदेही मंच

उपस्थिति का स्तर	शामिल हितधारक	हितधारकों की भूमिका	बैठकों का अंतराल	समस्या निवारण तंत्र
स्कूल, सामुदायिक केंद्र, डिग्री कॉलेज गांव/ज़िला	• एजी लीडर • महिला शिक्षक • प्रधानाचार्य • ग्राम परिषद नेता • ब्लॉक अधिकारी • राज्य शिक्षा विभाग प्रतिनिधि	• शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना • छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक में परामर्श देना • सुनिश्चित करें कि सैनिटरी नैपकिन स्कूल में जरूरतमंद लड़कियों को प्रदान किया जाए। • एक हस्ताक्षरित महिला शिक्षक जो लड़कियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनें और शिकायत पेटी को साप्ताहिक रूप से पढ़े • एक व्यक्ति को रैगिंग से बचाव और विकलांग छात्रों की जरूरतों की देखभाल के लिए नियुक्त करना • स्वच्छता और पीने का पानी की सुविधा की समीक्षा • सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक कौषल के अनुसार अद्यतन है • सुनिश्चित करना कि दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए • परिवहन/वाहन आवश्यकताओं की समीक्षा करना • स्कूल और कॉलेज में चिकित्सकों को नियुक्त करना • प्रत्येक स्कूल में सरकार द्वारा अधिकृत लड़कियों के क्लबों हेतु वकालत करना	महीने में एक बार और तीन महीने में एक बार उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ	मुद्दे को कक्षा 9–12 के एजी नेताओं/पार्षदों, महिला अध्यापकों और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर लेकर जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के समक्ष ले जाएं। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इसे राज्य और फिर केंद्रीय स्तर पर ले जाएं।

संलग्नक ३: नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आदर्श जवाबदेही मंच

उपस्थिति का स्तर	शामिल हितधारक	हितधारकों की भूमिका	बैठकों का अंतराल	समस्या निवारण तंत्र
कम्यून स्तर/ ब्लॉक स्तर	13-15 सदस्यों का प्लेटफॉर्म • 3 स्थानीय प्राधिकारी • 3 समुदाय के लोग • 3 विद्यार्थी परिषद लीडर्स • 3 किशोर लड़कियां • स्कूल प्रधानाचार्य • स्कूल प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि	• आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण • सभी सदस्यों के साथ बैठक कर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा और बंटवारा करना • ब्लॉक/कम्यून निवेश योजना या विकास योजना में सामुदायिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर एकीकृत करना • स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिनिधि ज़िला स्तर से समर्थन प्राप्त करने के लिए योजना प्रस्तुत करें तथा मुद्दों को उठाने और समर्थन प्राप्त करने के लिए मासिक ब्लॉक/कम्यून स्तर की बैठक में संयुक्त बैठक आयोजित करें • समुदाय के सदस्यों के साथ सामुदायिक बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर चर्चा करना • विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के साथ मासिक बैठक में शामिल होना • नियमित रूप से समीक्षा करना कि लिंग–समावेशी बुनियादी ढांचे जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण किया गया है और स्वच्छता बनाए रखी है • स्कूलों को अपनी नीतियों और दिशा–निर्देशों में ऐसे प्रावधान शामिल करने चाहिए, जहां लड़कियों को नागरिक बुनियादी ढांचे के महत्व और किशोरियों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लाभों के बारे में जागरूक किया जाए।	एजी अपनी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हर दो सप्ताह में मिलेंगे तथा समिति के सदस्य महीने में एक बार मिलेंगे।	• ए.जी. स्कूल सहायता समिति के साथ काम करें और प्रधानाचार्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समस्याओं को उठाएं या विद्यार्थी परिषद कम्यून/ब्लॉक स्तर की बैठकों के दौरान समस्याओं को उठाएं। • ए.जी. सीधे तौर पर समुदाय के लोगों से बात करके उनके मुद्दों को ग्राम बैठक में उठाएं या ज़िला स्तर की बैठकों में ले जाएं।

फोटो क्रेडिट: Getty Images/सशक्तिकरण की छवियाँ

ICRW
INTERNATIONAL CENTER
FOR RESEARCH ON WOMEN

Adolescent Girls
Investment Plan

ICRW Asia
Module 410, NSIC Business Park, 4th Floor, Okhla Industrial Estate, New Delhi - 110020
Tel: 91.11.46643333 | E-mail: info.india@icrw.org | Website: www.icrw.org/asia
Facebook: @ICRWAsia | Twitter: @ICRWAsia | Instagram: @icrwasia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/international-center-for-research-on-women-icrwasia/